BYJU'S EXAM PREP

Target UPPCS 2021 Economy

Short Notes for Quick Revision

byjusexamprep.com

भारतीय अर्थव्यवस्था

पंचवर्षीय योजना: भारत में आर्थिक नियोजन

भारत में आर्थिक नियोजन

विश्वेश्वरय्या योजना:

- भारत में आर्थिक नियोजन काल की शुरुआत विश्वेश्वरय्या की दस वर्ष की योजना के साथ शुरु हुई थी।
- श्री एम. विश्वेश्वरय्या ने 1934 में "भारत में आर्थिक नियोजन" शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें उन्होंने दस वर्षों में राष्ट्र की आय दोगुनी करने का मसौदा पेश किया था।
- उन्होंने श्रम को कृषि पर आधारित हटाकर उद्योग आधारित करने का सुझाव देकर लोकतांत्रिक पूंजीवाद (संयुक्त राज्य अमेरिका के समान) का समर्थन किया था जिसमें औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया।
- हालांकि, ब्रिटिश सरकार ने इस योजना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन इसने देश के शिक्षित युवाओं के बीच राष्ट्रीय नियोजन की मांग को सफलतापूर्वक उभारा था।

राष्ट्रीय योजना आयोग (एन.पी.सी.)

- यह भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का प्रथम प्रयास था जिसकी शुरुआत 1938 में जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित एन.पी.सी. की स्थापना से हुई थी।
- हालांकि, विश्व युद्ध II की शुरुआत के कारण, कमेटी की रिपोर्ट्स तैयार नहीं की जा सकी। आखिरकार इसके दस्तावेज 1948-49 में स्वतंत्रता के बाद जारी हुए।

बॉम्बे योजना:

- आठ शीर्ष उद्योगपतियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने "भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना" शीर्षक से एक संक्षिप्त ज्ञापन मसौदा तैयार किया जिसका संपादन पुरुषोत्तम ठाकुरदास ने 1944 में किया।
- इस मसौदे को "बॉम्बे योजना" के नाम से जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 15 वर्षों में कृषि क्षेत्र में आउटपुट को दोगुना करना और उद्योग क्षेत्र में वृद्धि को पांच गुना करना था।
- बॉम्बे योजना का मुख्य सिद्धांत यह था कि अर्थव्यवस्था का विकास बिना सरकारी हस्तक्षेप और विनियमन के नहीं हो सकता है।
- आधिकारिक रूप से, योजना को कभी स्वीकार नहीं किया गया, इसके सुझावों को भविष्य की आर्थिक योजनाओं में दोहराया गया।

पीपल प्लान:

- पीपल प्लान का मसौदा साम्यवादी नेता एम.एन. राय ने 1944 में लाहौर की भारतीय परिसंघ के उत्तर-युद्ध पुर्नसंरचना समिति की ओर से किया गया था।

- यह मार्क्सवादी समाजवादी पर आधारित था और इसमें कृषि को प्रधानता दी गई। इसने कृषि और सभी उत्पादन गतिविधियों के राष्ट्रीकृत होने पर बल दिया।

गांधी योजना:

- गांधी योजना का मसौदा एस.एन. अग्रवाल ने 1944 में वर्धा वाणिज्यिक कॉलेज के सिद्धांत पर तैयार किया था।
- इस योजना में भारत के लिए 'आत्म-निर्भर गांवों' के साथ 'विक्रेन्द्रीकृत आर्थिक संरचना' तैयार की गई।
- एन.पी.सी. और बॉम्बे योजना से इतर, योजना में कृषि पर अधिक बल दिया गया। और जहां भी औद्योगीकरण की बात कही गई वहां सूत और ग्राम स्तर उद्योगों के प्रोत्साहन पर बल दिया गया।

सर्वोदय योजना:

- इस योजना का मसौदा जय प्रकाश नारायण ने 1950 में बनाया था।
- यह गांधी योजना और विनोबा भावे के आत्म-निर्भरता सिद्धांतों पर आधारित था।
- इसने कृषि के साथ-साथ लघु और कपास उद्योगों पर जोर दिया।
- इसने विदेशी तकनीक के प्रयोग को कम करके आत्म-निर्भर होने तथा भूमि सुधारों और विक्रेन्द्रीकृत भागीदारी नियोजन लागू करने पर बल दिया।

योजना आयोग:

- स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा आर्थिक कार्यक्रम समिति (ई.पी.सी.) गठित की गई।
- पं. जवाहर लाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1948 में, समिति ने योजना आयोग के गठन की सिफारिश की थी।
- यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, जिस पर पांच वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का दायित्व है।

राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.)

- इसका गठन 6 अगस्त, 1952 को किया गया था।
- इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
- यह भारत में विकास के मुद्दों पर फैसले लेने और चिंतन करने वाला शीर्ष निकाय है। यह भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान करता है।

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाएं संक्षेप में:

योजनाएं	समय-सीमा	उद्देश्य और टिप्पणी

प्रथम योजना	1951-1956	· ध्यान: कृषि, मूल्य स्थिरता और बुनियादी ढांचा। · यह होर्राड डोमर मॉडल पर आधारित था (अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सकारात्मक दृष्टि में पूंजी की उत्पादकता और निवेश दर पर निर्भर करती है)।
द्वितीय योजना (लक्ष्य वृद्धि: 4.5% वास्तविक वृद्धि: 4.27%)	1956-1961	· ध्यान: तेज औद्योगिकीकरण · इसे महालनोबिस योजना भी कहा गया (नियोजन का ध्यान कृषि से हटाकर उद्योगों पर करने की सलाह दी गई) · इसने भारी और बुनियादी उद्योगों पर बल दिया। · इसमें आयात-प्रतिस्थापन की वकालत की, निराशावाद निर्यात और अतिव्यापार आदान-प्रदान।
तृतीय योजना (लक्ष्य वृद्धि: 5.6% वास्तविक वृद्धि: 2.84%)	1961-1966	· ध्यान: भारी और बुनियादी उद्योग जिसे बाद में कृषि की ओर प्रतिस्थापित कर दिया गया। · चीन 1962 और पाकिस्तान 1965 दो युद्धों तथा 1965-66 में भयंकर सूखा पड़ा था, यह योजना कई मोर्चों पर असफल साबित हुई।

- 1966-67, 1967-68 और 1968-69 तीन वार्षिक योजनाएं थीं।
- तीन लगातार वर्षों तक पंचवर्षीय योजनाओं को स्थगित करने के कारण इसे योजना अवकाश का समय कहा जाता है। व्यापक खाद्य संकट के कारण, वार्षिक योजनाओं का ध्यान कृषि पर केन्द्रित किया गया।
- इन योजनाओं के दौरान, हरित क्रांति की नींव रखी गई जिसमें एच.वाई.वी. (उच्च पैदावार किस्मों) बीजों, रासायनिक उर्वरकों के व्यापक प्रयोग और सिंचाई संभावनाओं का बड़े स्तर पर दोहन शामिल था।
- इन वर्षों के दौरान, तीसरी पंचवर्षीय योजना के घाटों को झेल लिया गया और 1969 से पंचवर्षीय योजना को क्रमशः आगे बढ़ाया गया।

IV से XII पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त विवरण:

जना	समय-सीमा	उद्देश्य और टिप्पणी

चौथी योजना (लक्ष्य वृद्धि: 5.7% वास्तविक वृद्धि: 3.30%)	1969-1974	· ध्यान: खाद्य में आत्म-निर्भरता और आत्म-विश्वसनीयता · इसका लक्ष्य घरेलू खाद्य उत्पादन सुधारना था। · इसका लक्ष्य विदेशी सहायता लेने से इंकार करना था। · 1973 का प्रथम तेल संकट, प्रमुख विदेशी विनिमय रिजर्व स्रोतों हेतु प्रेषण जारी किए
पांचवी योजना (लक्ष्य वृद्धि: 4.4% वास्तविक वृद्धि: 4.8%)	1974-1979	· ध्यान: गरीबी उन्मूलन और आत्म-निर्भरता प्राप्ति। · इसे डी.डी. धर द्वारा तैयार और पेश किया गया था। · इस योजना को 1978 में स्थगित कर दिया गया था। · वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लिए तीन अनवरत योजनाएं (रोलिंग प्लान) चलाई गईं।
छठी योजना (लक्ष्य वृद्धि: 5.2% वास्तविक वृद्धि: 5.4%)	1980-1985	· ध्यान: गरीबी हटाओ और उत्पादकता बढ़ाओ। · तकनीकी आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। · पहली बार, महात्वाकांक्षी गरीबी हटाओ को अपनाकर गरीबी पर सीधे हमला किया गया (अधोमुखी धन प्रवाह रणनीति को छोड़ा गया)।
सातवीं योजना (लक्ष्य वृद्धि: 5.0% वास्तविक वृद्धि: 6.01%)	1985-1990	· ध्यान: उत्पादकता और कार्य जैसे रोजगार सृजन। · पहली बार, निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से ऊपर प्राथमिकता मिली। · केन्द्र में अस्थिर राजनैतिक स्थितियों के कारण, वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए दो वार्षिक योजनाएं शुरू की गई।

byjusexamprep.com

आठवीं योजना (लक्ष्य वृद्धि: 5.6% वास्तविक वृद्धि: 6.8%)	1992-1997	· ध्यान: मानव संसाधन विकास। · इस योजना के दौरान, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के साथ नई आर्थिक नीतियों को लाया गया। · इसने मानव पूंजी और निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी।
नौवीं योजना (लक्ष्य वृद्धि: 7.1% वास्तविक वृद्धि: 6.8%)	1997-2002	· ध्यान: 'समता और न्याय के साथ विकास' · इसने चार क्षेत्रों पर बल दिया: जीवन गुणवत्ता, उत्पादक रोजगार का सृजन, क्षेत्रीय संतुलन और आत्म-निर्भरता।
दसवीं योजना (लक्ष्य वृद्धि: 8.1% वास्तविक वृद्धि: 7.7%)	2002-2007	1. इसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना था। 2. 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक घटाना था।
ग्यारहवीं योजना (लक्ष्य वृद्धि: 8.1% वास्तविक वृद्धि: 7.9%)	2007-2012	1. ध्यान: तेज वृद्धि और अधिक समावेशी विकास
बारहवीं योजना (लक्ष्य वृद्धि: 8%)	2012-2017	1. ध्यान: तेज, अधिक समावेशी विकास और धारणीय विकास।

नीति आयोग

- नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक थिंक टैंक है।
- इसने योजना आयोग का स्थान लिया है।
- धारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और 'नीचे से ऊपर' दृष्टिकोण अपनाकर सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना इसके दोहरे लक्ष्य थे। इसकी पहलों में शामिल हैं:

(i) 15 वर्षीय रोड मैप

(ii) 7 वर्षीय सोच, रणनीति और कार्य-योजना

(iii) 3 वर्षीय एजेंडा

राष्ट्रीय आय

राष्ट्रीय आय के संबंध में

- सामान्यतया समस्त निर्मित माल एवं एक निश्चित समय अंतराल(सामान्यतया एक वर्ष) में देशभर में दी जाने वाली सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय के रूप में परिभाषित किया जाता है| राष्ट्रीय आय के मापांक निम्न प्रकार हैं-

  (A) GDP (सकल घरेलू उत्पाद)

  (B) GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पाद)

  (C) NNP (कुल राष्ट्रीय उत्पाद)

  (D) PI (निजी आय)

  (E) DPI (अवशिष्ट निजी आय)

(A) GDP (सकल घरेलू उत्पाद)-

- एक निश्चित समय अंतराल के दौरान देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त माल एवं सेवाओं के कुल मूल्य को GDP कहते हैं(सामन्यतया एक वर्ष)
- इसमें निजी नागरीकों एवं विदेशी राष्ट्रों जो उस देश की सीमा के अन्दर रहते हैं, द्वारा उत्पादित सभी माल/सेवाओं को शामिल किया जाता है|
- उदाहरण-

  माना कि कुल 100 करोड़ भारतीय हैं जिन्हें भारतीय क्षेत्र में 100 करोड़ रुपयों की आय प्राप्त होती है और 1 करोड़ विदेशी हैं जिन्हें भारतीय क्षेत्र में 10 करोड़ रूपये प्राप्त होते हैं और वे उन्हें अपने क्रमशः देशों में भेजते हैं| उसी समय विदेश में रह रहे 10 करोड़ भारतीय 40 करोड़ रूपये प्रापर करते हैं और इसे भारत भेजते हैं| यहाँ, GDP (100 + 10 = 110 करोड़) है|

(B) GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पाद)-

- भारतीयों द्वारा भारत एवं विदेश में किसी न्सिचित समय अंतराल के दौरान उत्पादित होने वाले तैयार माल एवं सेवाओं के कुल मूल्य को GNP कहा जाता है|
- GNP में किसी देश के निवास करने वाले एवं निवास नहीं करने वाले नागरिकों द्वारा उत्पादित माल का मूल्य शामिल किया जाता है जबकि भारत में रहने वाले विदेशियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है|
- उदाहरण-

  माना 100 करोड़ भारतीय हैं जिन्हें भारतीय क्षेत्र में 100 करोड़ रूपये प्राप्त होते हैं एवं भारतीय क्षेत्र में 1 करोड़ विदेशी हैं जिन्हें 10 करोड़ रूपये प्राप्त होते हैं और इसे वे क्रमशः देशों में भेजते हैं| उसी

समय विदेशी देशों में रह रहे 10 करोड़ भारतीय 40 करोड़ प्राप्त करते हैं और इसे भारत भेजते हैं|

(C) कुल राष्ट्रीय उत्पाद(NNP)-

- इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद(GNP) में से ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है|
- NNP = GNP – ह्रास

(D) निजी आय-

- यह एक वर्ष में देश की जनता द्वारा प्राप्त होने वाली कुल आय का योग है|
  निजी आय = राष्ट्रीय आय + भुगतान स्थानान्तरण – निगमित के अप्रकाशित लाभ + सामाजिक सुरक्षा प्रावधान हेतु भुगतान
- स्थानान्तरण भुगतान/अदायगी वह भुगतान है जो किसी उत्पादक कार्य के विपरीत नहीं होते हैं| (उदाहरण- वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी मुआवजा इत्यादि|)
- सामजिक सुरक्षा प्रावधान- कर्मचारियों द्वारा PF, बीमा इत्यादि के लिए भुगतान बनाना|

(E) अवशिष्ट निजी आय-

- प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद निजी व्यक्ति के पास उपलब्ध आय|
- अवशिष्ट निजी आय = निजी आय – प्रत्यक्ष कर|

वास्तविक आय एवं सांकेतिक आय-

- यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष मूल्य का प्रयोग करें, इसे वास्तविक आय कहते हैं|
- यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किसी विशेष वर्ष की बात करें(वर्तमान वर्ष), तो इस आय को नाममात्र/सांकेतिक आय कहते हैं|

GDP अपस्फीतिकारक-

- कुल मूल्य वृद्धि की गणना हेतु प्रयुक्त होता है|
- GDP अपस्फीतिकारक = सांकेतिक GDP/वास्तविक GDP

भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान

- 1868 में, दादाभाई नोरोजी ने एक पुस्तक 'Poverty and Un British Rule in India' लिखी| यह राष्ट्रीय आय की गणना पर पहला प्रयास था|
- वैज्ञानिक तौर पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम व्यक्ति डॉ. K. R. V. राव थे जिन्होंने 1925-29 के अंतराल के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया|
- स्वतंत्रता के बाद 1949 में C. महलानोबिस की अध्यक्षता के अधीन राष्ट्रीय आय संगठन बनाया गया|
- कुछ वर्षों बाद केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) बनाया गया|

RBI और मौद्रिक नीति

RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक)

- भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 के तहत अप्रैल 1935 में हुई थी।
- हिल्टन-यंग कमिशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गयी
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो 1949 में राष्ट्रीयकृत की गयी थी।
- केन्द्रीय कार्यालय की प्रारंभिक शुरुआत कलकत्ता में हुई और बाद में 1937 में मुंबई ले जाया गया।
- सरकारी निदेशकों- एक गवर्नर्स और चार से अधिक डिप्टी गवर्नर्स नहीं
- वर्तमान में निम्न व्यक्तियों निम्नलिखित पदों पर हैं-

  गवर्नर- डॉ. उरजित आर. पटेल

  उप गवर्नर- (i) श्री एम.के. जैन (ii) श्री एन एस विश्वनाथन (iii) डॉ. वायरल वी आचार्य (iv) श्री बी.पी. कानूनगो
- भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के मार्गदर्शन में अपना कार्य करता है।

  <u>वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)</u>

  नवंबर 1994 में गठित की गयी। बोर्ड का गठन केंद्रीय निदेशक मंडल के चार निदेशकों को सह-चयन करने के लिए किया जाता है और इसकी अध्यक्षता गवर्नर द्वारा की जाती है।
- <u>आरबीआई द्वारा प्रशासित महत्वपूर्ण अधिनियम</u>

  (i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

  (ii) लोक ऋण अधिनियम, 1944 / सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006

  (iii) सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007

  (iv) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

  (v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999

  (vi) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन (सारफेसी) अधिनियम, 2002
- <u>अन्य प्रासंगिक अधिनियम</u>

  (i) परामर्शदाता उपकरण अधिनियम, 1881

  (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 / कंपनी अधिनियम, 2013

  (iii) जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961

  (iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976

  (v) कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक अधिनियम, 1981

  (vi) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987

(vii) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

(viii) भारतीय सिक्का अधिनियम, 2011

- आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी निम्नलिखित हैं -
- (i) भारत में जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

  (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रीन प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)

  (iii) नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी)
- आरबीआई के प्रथम गवर्नर - सर ओसबोर्न स्मिथ

  राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर- सी डी देशमुख

  भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप-गवर्नर- के.जे.उद्देशी
- आरबीआई प्रतीक: टाइगर और पाम पेड़

मौद्रिक नीति क्या है?

- नीति अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय बैंक द्वारा बनाई जाती है।

एमपीसी (मौद्रिक नीति समिति)

- भारत की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति है जो भारत में बेंचमार्क ब्याज दर को तय करने के लिए जिम्मेदार है।
- संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB, मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक ब्याज दर को निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक सशक्त छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) हेतु प्रदान करता है। एमपीसी को एक वर्ष में कम से कम चार बार मिलना आवश्यक है।
- छह सदस्यीय एमपीसी की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा की जाती है।
- केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त मौद्रिक नीति समिति के सदस्य चार वर्षों के लिए कार्यालय बनाए रखते हैं।

मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरण / साधन

इसे मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों में विभाजित किया जा सकता है।

मात्रात्मक उपकरण

1. खुला बाजार परिचालन (OMO)

- इस पद्धति में बैंकिंग प्रणाली में धन की राशि का विस्तार या अनुबंध करने के लिए खुले बाजार में आरबीआई द्वारा सरकार की प्रतिभूतियों, बिलों और बांड को खरीदने और बेचने का उल्लेख है।
- जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है तो तरलता बढ़ जाती है (क्योंकि आरबीआई उस पार्टी को उस सिक्योरिटी को खरीदने हेतु कुछ पैसे दे रहा है या आरबीआई प्रणाली में अतिरिक्त पैसा डाल रहा है।)

- बदले में जब रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है तो तरलता कम हो जाती है। (क्योंकि वे प्लेयर प्रतिभूतियों की खरीद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी नकदी दे रहे हैं।)

2. तरलता समायोजन सुविधा (LAF)

- तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ) भी अल्पकालिक धन आपूर्ति पर नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है।
- एलएएफ के पास दो उपकरण जैसे रेपो दर और रिवर्स रेपो दर हैं।

  रेपो दर: जिस ब्याज दर पर रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उनके दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों को गिरवी रखकर ऋण प्रदान करता है।

  रिवर्स रेपो दर: ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक अपनी दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों को गिरवी रखकर वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है।
- जबकि रेपो दर प्रणाली में तरलता को पेश करती है, रिवर्स रेपो प्रणाली से तरलता को अवशोषित करती है।

3. मामूली स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility)

- यह बैंकों के लिए एक आपात स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेने के लिए एक ऋण सुविधा है जब अंतर-बैंक तरलता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।
- एमएसएफ रेपो दर से कैसे भिन्न है?

  एमएसएफ ऋण सुविधा वाणिज्यिक बैंकों के लिए आपातकालीन स्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने के लिए बनाई गई थी, जब अंतर-बैंक तरलता समाप्त हो जाती है तथा रातों-रात ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव होता है। इस अस्थिरता को रोकने के लिए, आरबीआई उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों को जमा करने तथा आरबीआई से रेपो दर से उच्च दर पर ज्यादा तरलता प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है।

4. नकद आरक्षित अनुपात (एसएलआर, सीआरआर)

- एसएलआर (SLR) (सांविधिक नकदी अनुपात) - देश में सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपने स्वयं के वॉलेट में तरल संपत्ति के रूप में अपनी मांग और समय जमाओं (शुद्ध मांग तथा समय देयताएं या एनडीटीएल) के दिए गए प्रतिशत को रखने की आवश्यकता है।
- यह बैंक को अपनी सभी जमाओं को उधार देने से रोकता है, जो बहुत जोखिम भरा है।

  नोट: शुद्ध मांग और समय देयताएं (एनडीटीएल) में मुख्य रूप से समय देयताएं और मांग देयताएं शामिल होती हैं।

  समय देयताएं में निम्न शामिल हैं -

  (1) सावधि जमा (एफडी) में जमा राशि

  (2) नकदी प्रमाणपत्र

(3) गोल्ड जमा इत्यादि

मांग देयताएं में निम्न शामिल हैं -

(1) बचत खाते में जमा राशि

(2) चालू खाते में जमा राशि

(3) डिमांड ड्राफ्ट इत्यादि

- CRR - नकद आरक्षित अनुपात निधियों की राशि है जिसमें बैंक अपनी शुद्ध मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखने के लिए बाध्य हैं। बैंक इसे किसी को भी उधार नहीं दे सकता है बैंक इस पर कोई ब्याज दर या लाभ अर्जित नहीं करता है।
- क्या होता है जब CRR में कमी आती है?
  जब सीआरआर कम हो जाता है, इसका मतलब यह है कि बैंक को आरबीआई के पास कम धनराशि रखने की आवश्यकता है और बैंकों को उधार देने के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे।

5. बैंक दर

- बैंक दर वह दर है जो आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है जिस पर वह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विनिमय के बिलों तथा सरकारी प्रतिभूतियों को पुन: छूट देता है।
- इसे छूट दर के रूप में भी जाना जाता है।
  नोट-
  विनिमय के बिल - एक वित्तीय दस्तावेज है जो खरीदार द्वारा विक्रेता से खरीदी गई वस्तुओं की राशि का भुगतान सुनिश्चित करता है।

  रेपो दर तथा बैंक दर के बीच अंतर: रेपो दर एक अल्पकालिक उपाय है और दूसरी ओर बैंक दर एक दीर्घकालिक उपाय है।

गुणात्मक (Qualitative) साधन

1. क्रेडिट राशनिंग

- इससे आरबीआई एक निश्चित क्षेत्र में अधिकतम क्रेडिट प्रवाह को नियंत्रित करती है।
- आरबीआई कुछ क्षेत्रों को अपने ऋणों के कुछ अंश प्रदान करने के लिए बैंकों हेतु अनिवार्य भी कर सकता है जैसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण इत्यादि।

2. चुनिंदा क्रेडिट नियंत्रण (Selective Credit control)

- चुनिंदा क्रेडिट नियंत्रण संवेदनशील वस्तुओं के खिलाफ बैंक वित्त को प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के हाथों में एक उपकरण है।

3. मार्जिन आवश्यकताएं

- आरबीआई अनुप्रासंगिक के खिलाफ मार्जिन निर्धारित कर सकता है। उदाहरण के लिए, 100 रुपये की मूल्य संपत्ति के लिए केवल 70 रुपए उधार दें, मार्जिन की आवश्यकता 30% है। यदि आरबीआई मार्जिन की आवश्यकता को बढ़ाता है, तो ग्राहक कम ऋण लेने में सक्षम होंगे।

4. नैतिक प्रत्यायन

- नैतिक प्रत्यायन अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति के अनुसार निश्चित उपाय करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनुरोध की पद्धति तथा परामर्श की पद्धति को संदर्भित करता है।

5. प्रत्यक्ष कार्यवाही

- आरबीआई अर्थव्यवस्था में वर्तमान स्थिति के आधार पर समय-समय पर कुछ दिशा-निर्देशों को जारी करता है। इन दिशा-निर्देशों का पालन बैंकों द्वारा किया जाना चाहिए। यदि कोई भी बैंक इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक उन्हें दंडित करता है।

बेरोजगारी एवं उसके प्रकार

बेरोजगारी

- यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग मजदूरी की मौजूदा दरों पर कार्य करने के लिए तैयार तथा इच्छुक हैं लेकिन अभी भी वे कार्य नहीं कर सकते हैं।
- भारत में बेरोजगारी तथा रोजगार का मापन एनएसएसओ (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन) द्वारा किया जाता है।
- NSSO निम्न तीन श्रेणियों में लोगों का विभाजन करता है -

  (a) कार्यरत लोग (एक आर्थिक गतिविधि में लगे हुए)

  (b) कार्य नहीं कर रहे लोग (काम की तलाश में)

  (c) न तो कार्यरत न ही कार्य की तलाश में

  श्रेणी (a) में लोगों को कार्य बल कहा जाता है।

  श्रेणी (b) में लोगों को बेरोजगार कहा जाता है।

  श्रेणी (a) तथा (b) में लोगों को श्रम बल कहा जाता है।

  श्रेणी (c) में लोगों को श्रम बल में नहीं कहा जाता है।

  बेरोजगारों की संख्या = श्रम बल – कार्य बल
- भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के तहत रखा जाता है।

बेरोजगारी के प्रकार

1. संरचनात्मक बेरोजगारी

- संरचनात्मक परिवर्तन के कारण ।

- उदाहरण – तकनीकी परिवर्तन, बढ़ती आबादी इत्यादि।

2. प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी

- जब लोग एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्थानांतरण करते हैं तथा वे इस अंतराल अवधि के दौरान बेरोजगार रहेंगे।

3. आवर्ती बेरोजगारी (मांग की कमी बेरोजगारी)

- जब मांग की कमी के कारण लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है।
- उदाहरण – मंदी

4. आवृत बेरोजगारी

- बेरोजगारी के इस प्रकार में लोग कार्यरत हैं लेकिन उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य है।
- उदाहरण – एक आदमी कुछ कृषि कार्य में लगा हुआ है, उसका दोस्त उसके साथ जुड़ता है लेकि उत्पादकता समान है। उसका दोस्त आवृत बेरोजगारी के तहत आता है।

5. शिक्षित बेरोजगारी

- यदि एक शिक्षित व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।
- उदाहरण – इंजीनियरिंग स्नातक इंजीनियर पद के बजाय क्लर्क का पद प्राप्त करता है।

6. खुली बेरोजगारी

- स्थिति जिसमें लोगों को करने के लिए कोई काम नहीं मिलता है।
- इसमें कुशल तथा गैर-कुशल दोनों लोग शामिल हैं।

7. अधीन बेरोजगारी

- जब लोग कार्य प्राप्त करते हैं लेकिन वे अपनी दक्षता तथा क्षमता का अपने इष्टतम पर उपयोग नहीं करते हैं और वे सीमित स्तर तक उत्पादन में अपना योगदान देते हैं।

8. स्वैच्छिक बेरोजगारी

- बेरोजगारी के इस प्रकार में नौकरियां उपलब्ध हैं लेकिन व्यक्ति बेकार रहना चाहता है।
- उदाहरण – आलसी लोग, जिनके पास पूर्वजों की संपत्ति होती है वे कमाना नहीं चाहते हैं।

9. प्राकृतिक बेरोजगारी

- 2 से 3% बेरोजगारी को स्वाभाविक माना जाता है तथा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है।

10. स्थायी बेरोजगारी

- अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक बेरोजगारी के कारण मौजूद हैं।

11. मौसमी बेरोजगारी

- बेरोजगारी के इस प्रकार में, लोग साल के कुछ माह के लिए बेरोजगार रहते हैं।
- उदाहरण – किसान

मुद्रास्फीति (प्रकार और प्रभाव)

मुद्रास्फीति

- माल और सेवाओं के मूल्य में सामान्य वृद्धि
- इसका अनुमान समय अवधि के संदर्भ में कीमत सूचकांक में परिवर्तन की प्रतिशत दर के रूप में लगाया गया है।
- वर्तमान में भारत में मुद्रास्फ़ीति दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (आधार वर्ष -2012) की सहायता से मापी जाती है।
- अप्रैल 2014 तक मुद्रास्फीति दर को थोक मूल्य सूचकांक की सहायता से मापा गया था।
- मुद्रास्फीति की दर==(वर्तमान मूल्य सूचकांक-संदर्भ अवधि मूल्य सूचकांक)/(संदर्भ अवधि मूल्य सूचकांक)×100

मुद्रास्फीति के प्रकार

मुद्रास्फीति में वृद्धि की दर के आधार पर

1. क्रीपिंग इंफ्लेशन-
   - बहुत कम दर पर मूल्य वृद्धि (<3%)
   - यह अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षित और आवश्यक मानी जाती है।
2. वॉकिंग या ट्रोटिंग इंफ्लेशन-
   - मध्यम दर पर मूल्य वृद्धि (3% <मुद्रास्फीति <10%)
   - इस दर पर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी का संकेत है।
3. रनिंग मुद्रास्फीति-
   - उच्च दर पर मूल्य वृद्धि (10% <मुद्रास्फीति <20%)
   - यह अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।
4. हाइपर इंफ्लेशन या गैलोपिंग मुद्रास्फीति या रनवे मुद्रास्फीति-
   - बहुत अधिक दर पर मूल्य वृद्धि (20% <मुद्रास्फीति <100%)
   - इस स्थिति में अर्थव्यवस्था का पतन हो जाता है।

कारणों के आधार पर

1. मांग जन्य मुद्रास्फीति(डिमांड पुल इंफ्लेशन)-
   - सीमित आपूर्ति के समय माल और सेवाओं की अधिक मांग के कारण पैदा होने वाली मुद्रास्फीति।
2. लागत जन्य मुद्रास्फीति(कॉस्ट पुश इंफ्लेशन)-
   - सीमित आपूर्ति के समय अधिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए उच्च इनपुट लागत (उदाहरण- कच्चा माल, वेतन इत्यादि) के कारण पैदा होने वाली मुद्रास्फीति।

अन्य परिभाषाएं-

1. अवस्फीति(डेफलेशन)-
   - यह मुद्रास्फीति के विपरीत है।
   - अर्थव्यवस्था में कीमत में सामान्य स्तर की कमी।

- इस मूल्य सूचकांक में मापन नकारात्मक है।

2. मुद्रास्फीतिजनित मंदी(स्टैगफ्लेशन)-
   - जब अर्थव्यवस्था में स्थिरता और मुद्रास्फीति मौजूद रहती है।
     स्टैगफ्लेशन- कम राष्ट्रीय आय वृद्धि और उच्च बेरोजगारी
3. विस्फीति(डिसइंफ्लेशन)-
   - जब मुद्रास्फीति की दर धीमी होती है।
     उदाहरण:
     अगर पिछले महीने की मुद्रास्फीति 4% थी और चालू माह में मुद्रास्फीति की दर 3% थी।
4. प्रत्यवस्फीति(रीफ्लेशन)
   - मुद्रास्फीति की स्थिति से अर्थव्यवस्था को पुन: पाने के लिए मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जानबूझकर की गयी कार्रवाई |
   1. कोर मुद्रास्फीति
   - यह कुछ उत्पादों की कीमत में वृद्धि को छोड़कर अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि के उपायों (जिनकी कीमत अस्थिर है और अस्थायी है) पर ज्ञात की जाती है।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय

1. उधार नियंत्रण
   - यह आरबीआई द्वारा उपयोग की जाती है।
2. प्रत्यक्ष करों में वृद्धि
   - इसके कारण लोगों के पास कम धन उपलब्ध होता है और उनके द्वारा कम मांग के कारण कीमत कम हो जाती है।
3. मूल्य नियंत्रण
   - अधिकारियों द्वारा अधिकतम मूल्य सीमा तय करके
4. व्यापार मापन
   - माल और सेवाओं के निर्यात और आयात द्वारा अर्थव्यवस्था में उचित आपूर्ति बनाकर

भारत में गरीबी

गरीबी

- वह स्थिति जिसमे समाज का एक हिस्सा अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ होता है|

- यह दो प्रकार की होती है-
  (a) सम्पूर्ण गरीबी
  (b) तुलनात्मक गरीबी

(a) सम्पूर्ण गरीबी

- इसमें हम जीवन में आवश्यक वस्तुओं की निम्नतम मात्रा का कुल मान ज्ञात करते हैं(एक आंकड़ा जो प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय को व्यक्त करता है)|
- जिस जनसंख्या का आय-स्तर (या व्यय) इस कुल मान से कम होता है उसे गरीबी रेखा के नीचे(BPL) माना जाता है|
- गरीबी के इस मापांक में, हमने गरीबों की संख्या को कुल जनसंख्या के समानुपात माना है| इस मापांक को मुख्य गणना अनुपात के नाम से भी जाना जाता है|
  उदाहरण: जनसंख्या का 13%, BPL है|

(b) तुलनात्मक गरीबी

- इस प्रकार की गरीबी में व्यक्ति, निम्नतम गरीबी रेखा(BPL) के ऊपर हो सकता है किन्तु अन्य व्यक्तियों की तुलना में गरीब ही होता है जिनकी आय उसकी आय/उपभोग से अधिक है|
- इस प्रकार की गरीबी में, विभिन्न प्रतिशत समूहों में जनसंख्या की आय गणना/ उपभोग वितरण का अनुमान लगाया जाता है और उनकी तुलना की जाती है|
- यह कुल जनसंख्या के बीच उपस्थित असमानता प्रदान करता है|
- Quintile ratio(पंचमक अनुपात) इस असमानता का ही एक माप है|
- पंचमक आय अनुपात= सबसे अमीर 20% की औसत आय/ सबसे गरीब 20 व्यक्तियों की औसत आय

ब्रिटिश भारत मे गरीबी का अनुमान

- गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान दादाभाई नौरोजी द्वारा उनकी पुस्तक “Poverty and un-British rule in India” में 1901 में प्रकाशित हुआ|
- 1936 में, राष्ट्रीय योजना समीति ने संयुक्त भारत में गरीबी के बारे में विचार दिया| किन्तु उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों को भारत में गरीबी के रूप में नहीं माना गया|

स्वतन्त्र भारत में गरीबी का अनुमान

(A) डॉ. V.M. दांडेकर एवं निलान्था रथ (1968-69)

- निश्चित वंचित न्यूनतम पोषण = 2250 कैलोरी/दिन
- पिछड़े क्षेत्रों में, इस मात्रा में पोषण खरीदने हेतु आवश्यक राशि - 170 रूपये/वर्ष
- शहरी क्षेत्रों में, इस मात्रा में पोषण खरीदने हेतु आवश्यक राशि - 271 रूपये/वर्ष

- इस सन्दर्भ के प्रयोग से, उन्होंने देखा कि पिछड़े क्षेत्रों के 40% एवं शहरी क्षेत्रों के 50%, 1960-61 में गरीबी रेखा से नीचे थे|

(B) योजना आयोग विशेषज्ञ समूह

- गरीबी रेखा अवधारणा को सर्वप्रथम 1962 में योजना संगठन के योजना आयोग कार्य समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया था|

(i) Alagh Committee (अलघ समीति)

- अध्यक्ष- Y K अलघ
- 1979 तक गरीबी का मूल्यांकन आय की कमी के आधार पर होता रहा, किन्तु 1979 में Y K अलघ समीति ने घरेलू प्रति व्यक्ति खपत व्यय के आधार पर एक नया तरीका अपनाया|
- इस समीति ने भारत में प्रथम गरीबी रेखा को परिभाषित किया|
- पिछड़े क्षेत्रों में समीति द्वारा सुनिश्चित किया गया प्रतिदिन उपभोग = 2400 कैलोरी/दिन
  शहरी क्षेत्रों में समीति द्वारा सुनिश्चित किया गया प्रतिदिन उपभोग = 2100 कैलोरी/दिन
  विशेष- पिछड़े भारत में उपभोग का मान उनके द्वारा किये गए शारीरिक श्रम के कारण अधिक रखा गया था|

(ii) लकडावाला समीति

- 1989 में बनाई गयी|
- अध्यक्ष- D.T. लकडावाला
- 1993 में जांच/रिपोर्ट जमा की गयी|
- पिछड़े क्षेत्रों में समीति द्वारा सुनिश्चित किया गया प्रतिदिन उपभोग = 2400 कैलोरी/दिन
- शहरी क्षेत्रों में समीति द्वारा सुनिश्चित किया गया प्रतिदिन उपभोग = 2100 कैलोरी/दिन
- समीति ने गरीबी के अनुमान के लिए CPI-IL एवं CPI- AL का प्रयोग किया|
  विशेष- CPI-IL (Consumer Price Index for Industrial Labourers)
  CPI-AL (Consumer Price Index for Agriculture Labourers)
- परिणाम-
  1993-94 में BPL के अंतर्गत कुल व्यक्ति थे = 36%
  2004-05 में BPL के अंतर्गत कुल व्यक्ति थे = 27.5%

(ii) तेंदुलकर समीति

- 2005 में बनाई गयी|
- अध्यक्ष- सुरेश तेंदुलकर
- इसकी रिपोर्ट 2009 में जमा की गयी|
- कैलोरी आधारित अनुमान को पोषण, स्वास्थ्य एवं अन्य व्यय के आधार पर परिवर्तित किया|

- एक नया शब्द Poverty Line Basket (PLB) प्रस्तुत किया जो कि गरीबी रेखा निश्चित करने वाली सभी चयनित वस्तुओं की एक टोकरी(basket) को प्रदर्शित करता है|
- उपभोग मात्रा दोनों पिछड़े एवं शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए समान निश्चित की गयी किन्तु मूल्य में अंतर है-

  ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों के लिए दैनिक प्रति व्यक्ति व्यय- 27 रूपये

  शहरी क्षेत्रों के लिए दैनिक प्रति व्यक्ति व्यय- 33 रूपये

  परिणाम-

  कुल गरीबी- 37.2% (वर्ष 2004-05 में)

  पिछड़े- 41.8% (वर्ष 2004-05 में)

  शहरी- 25.7% (वर्ष 2004-05 में)

(iii) रंगराजन समीति

- जून 2012 में बनाई गयी|
- अध्यक्ष- रंगराजन
- इसकी रिपोर्ट जून 2014 में जमा की गयी|
- दोबारा, भूतकाल में की गयी कैलोरी आधारित विधि को अपनाया गया|

  ग्रामीण के लिए दैनिक प्रति व्यक्ति व्यय- 33 रूपये

  शहरी के लिए दैनिक प्रति व्यक्ति व्यय- 47 रूपये
- परिणाम-

  कुल गरीबी- 29.5% (वर्ष 2011-12 में)

  पिछड़े- 30.9% (वर्ष 2011-12 में)

  शहरी- 26.4% (वर्ष 2011-12 में)

भारतीय बैंकिंग प्रणाली विकास के चरण

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विकास को तीन अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत किया गया है:

1. स्वतंत्रता से पूर्व का चरण अर्थात 1947 से पहले
2. दूसरा चरण 1947 से 1991 तक
3. तीसरा चरण 1991 से अब तक

1. स्वतंत्रता से पूर्व का चरण अर्थात 1947 से पहले- प्रथम चरण

- इस चरण की मुख्य विशेषता अधिक मात्रा में बैंकों की उपस्थिति (600 से अधिक) है।
- भारत में बैंकिंग प्रणाली का आरंभ वर्ष 1770 में कलकत्ता (अब कोलकाता) में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ, जिसने वर्ष 1832 में कार्य करना समाप्त कर दिया।

- इसके बाद कई बैंक स्थापित हुए लेकिन उनमें से कुछ सफल नहीं हुए जैसे-
  (1) जनरल बैंक ऑफ इंडिया (1786-1791)
  (2) अवध कॉमर्शियल बैंक (1881-1958) - भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक
- जबकि कुछ सफल भी हुए और अभी तक कार्यरत हैं, जैसे-
  (1) इलाहाबाद बैंक (1865 में स्थापित)
  (2) पंजाब नेशनल बैंक (1894 में स्थापित, मुख्यालय लाहौर में (उस समय))
  (3) बैंक ऑफ इंडिया (1906 में स्थापित)
  (4) बैंक ऑफ बड़ौदा (1908 में स्थापित)
  (5) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (1911 में स्थापित)
- जबकि बैंक ऑफ बंगाल (1806 में स्थापित), बैंक ऑफ बॉम्बे (1840 में स्थापित), बैंक ऑफ मद्रास (1843 में स्थापित) जैसे कुछ अन्य बैंकों का वर्ष 1921 में एक की बैंक में विलय कर दिया गया, जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था।
- इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम वर्ष 1955 में परिवर्तित करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया।
- अप्रैल 1935 में, हिल्टन यंग कमिशन (1926 में स्थापित) की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
- इस समयावधि में, अधिकांश बैंक आकार में छोटे थे और उनमें से कई असफलता से ग्रसित थे। फलस्वरूप, इन बैंकों में जनता का विश्वास कम था और इन बैंकों का धन संग्रह भी अधिक नहीं था। इसलिए लोगों ने असंगठित क्षेत्र (साहूकार और स्थानीय बैंकरों) पर भरोसा जारी रखा।

2. दूसरा चरण 1947 से 1991 तक

- इस चरण की मुख्य विशेषता बैंकों का राष्ट्रीयकरण थी।
- आर्थिक योजना के दृष्टिकोण से, राष्ट्रीयकरण प्रभावी समाधान के रूप में उभर के सामने आया।

भारत में राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता:

- ज्यादातर बैंकों की स्थापना बड़े उद्योगों, बड़े व्यापारिक घरानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हुई।
- कृषि, लघु उद्योग और निर्यात जैसे क्षेत्र पीछे हो गए।
- साहूकारों द्वारा आम जनता का शोषण किया जाता रहा।
- इसके बाद, 1 जनवरी, 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- 19 जुलाई, 1969 को चौदह वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1969 के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधान मंत्री थीं। ये बैंक निम्न थे-
  (1) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(2) बैंक ऑफ इंडिया
(3) पंजाब नेशनल बैंक
(4) बैंक ऑफ बड़ौदा
(5) यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक
(6) कैनरा बैंक
(7) देना बैंक
(8) यूनाइटेड बैंक
(9) सिंडिकेट बैंक
(10) इलाहाबाद बैंक
(11) इंडियन बैंक
(12) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
(13) बैंक ऑफ महाराष्ट्र
(14) इंडियन ओवरसीज बैंक

- अप्रैल 1980 में अन्य छह वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये निम्न थे:
  (1) आंध्रा बैंक
  (2) कॉरपोरेशन बैंक
  (3) न्यू बैंक ऑफ इंडिया
  (4) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
  (5) पंजाब एंड सिंध बैंक
  (6) विजया बैंक
- इस बीच, नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर, 1975 को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी) का गठन किया गया। आर.आर.बी के गठन के पीछे का उद्देश्य सेवा से अछूती ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी आबादी तक सेवा का लाभ पहुंचाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था।
- विभिन्न क्षेत्रों (जैसे कृषि, आवास, विदेशी व्यापार, उद्योग) की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ शीर्ष स्तर की बैंकिंग संस्थाएं भी स्थापित की गईं-
  (1) नाबार्ड (1982 में स्थापित)
  (2) एक्जिम (1982 में स्थापित)
  (3) एन.एच.बी (1988 में स्थापित)
  (4) सिडबी (1990 में स्थापित)

3. तीसरा चरण 1991 से अब तक

- इस अवधि में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के साथ बैंकों के विकास की प्रक्रिया में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- राष्ट्रीयकरण और उसके बाद के नियमों के बाद भी, बैंकिंग सेवाओं द्वारा जनता का एक बड़ा हिस्सा अछूता रहा।
- इसे ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1991 में, नरसिम्हम समिति ने, बैंकिंग प्रणाली में निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश की अनुमति की सिफारिश की।
- इसके बाद आर.बी.आई ने 10 निजी संस्थाओं को लाइसेंस दिया, जिनमें से 6 आज भी कार्यरत हैं- आई.सी.आई.सी.आई, एच.डी.एफ.सी, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक,डी.सी.बी।
- वर्ष 1998 में, नरसिम्हम समिति ने पुन: अन्य निजी बैंकों के प्रवेश की सिफारिश की। फलस्वरूप, आर.बी.आई ने निम्न बैंकों को लाइसेंस दिया-
  (1) कोटक महिंद्रा बैंक (2001)
  (2) यस बैंक (2004)
- वर्ष 2013-14 में, बैंक को लाइसेंस प्रदान करने का तीसरा दौर शुरु हुआ। और वर्ष 2014 में आई.डी.एफ.सी बैंक और बंधन बैंक उभर कर सामने आए।
- अन्य वित्तीय समावेशन के लिए, आर.बी.आई ने दो प्रकार के बैंकों का गठन करने का प्रस्ताव भी रखा, जैसे भुगतान बैंक और लघु बैंक।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

1. इलाहाबाद बैंक, 1865 में स्थापित - इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसकी शाखाएं पूरे भारत में हैं और यह बैंक पिछले 145 वर्षों से ग्राहकों की सेवा में है।
2. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम वर्ष 1955 में बदल कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था।
3. पंजाब नेशनल बैंक केवल भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक है, जिसे वर्ष 1895 में लाहौर में स्थापित किया गया था।
4. सबसे पहले स्वदेशी बैंक - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक माना जाता है, जिसे वर्ष 1911 में स्थापित किया गया था और यह पूर्णतया भारतीयों के स्वामित्व एवं प्रबंधन वाला बैंक था।
5. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन महात्मा गांधी ने वर्ष 1919 में किया था।
6. ओसबॉर्न स्मिथ, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे।
7. सी.डी. देशमुख, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे।
8. विदेश में बैंक खोलने वाला पहला भारतीय बैंक, 'बैंक ऑफ इंडिया' है। इस बैंक द्वारा वर्ष 1946 में लंदन में एक शाखा स्थापित की गई थी।

9. भारतीय स्टेट बैंक की विदेशी शाखाओं की संख्या सर्वाधिक है।

भारत में बैंकिंग व्यवस्था

बैंकिंग संरचना को कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट इत्यादि जैसे कई हिस्सों में विभाजित किया गया है। हम उनसे एक-एक करके चर्चा करेंगे।

मुद्रा बाजार

- चूंकि बैंकिंग पैसे के बारे में है, इसलिए बैंकिंग संरचना मनी मार्केट का एक अभिन्न हिस्सा है।
- इसमें निधियों को उधार लेने तथा उधार देने में 1 वर्ष तक का समय लग जाता है
- इसका इस्तेमाल अल्पावधि ऋण के लिए किया जाता है।
- इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कुछ एनबीएफसी आदि शामिल हैं।

मुद्रा बाजार की संरचना

भारतीय मुद्रा बाजार में संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन यहां, हम संगठित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

संगठित क्षेत्र:

इसे भी दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है

1. बैंकिंग

आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची पर आधारित बैंकों का वर्गीकरण

सभी बैंकों (वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, सहकारी बैंक) को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. अनुसूचित बैंक

- वे बैंक जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
- बैंक दर पर RBI से ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

2. गैर-अनुसूचित बैंक

- वे बैंक जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं हैं।
- आमतौर पर, आरबीआई से ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- सीआरआर अपने साथ रखें आरबीआई के साथ नहीं।

वाणिज्यिक बैंक

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत विनियमित।
- वे जमा को स्वीकार कर सकते हैं, लाभ अर्जित करने के लिए ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

- वाणिज्यिक बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

- इन बैंकों में ज्यादातर शेयर (50% से अधिक) सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
- वर्तमान में अपने सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) के साथ एसबीआई के विलय के बाद भारत में 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।
- बैंकों का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में सरकार द्वारा किया गया था-

  राष्ट्रीयकरण का पहला चरण जुलाई 1969 में हुआ था, जिसमें चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।

  बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण अप्रैल 1980 में हुआ था, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।

  बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य -

  1. निजी एकाधिकार को कम करना
  2. सामाजिक कल्याण
  3. बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार
  4. प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण पर ध्यान देना

निजी क्षेत्र बैंक

- इन बैंकों में शेयरों के बहुमत हिस्सेदारी सरकार द्वारा आयोजित नहीं होती।
- इन बैंकों में भारतीय बैंकों के साथ-साथ विदेशी बैंक दोनों शामिल होते हैं।
- निजी बैंक जो 1990 (अर्थव्यवस्था का उदारीकरण) से पहले स्थापित किए गए थे, उन्हें पुराने बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 1990 (अर्थव्यवस्था का उदारीकरण) के बाद स्थापित किए जाने वाले निजी बैंकों को नए बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- स्थानीय क्षेत्र बैंक - निजी बैंक, जिन्हें सीमित क्षेत्र में संचालित करने की अनुमति है तथा जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें स्थानीय क्षेत्र बैंक कहते हैं। इसके लिए कम से कम 5 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- आरआरबी अधिनियम, 1976 के तहत स्थापित हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित हैं।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना है।
- अप्रैल, 1987 में केलकर समिति की सिफारिशों के बाद, कोई भी नया आरआरबी खोला नहीं गया है।

सहकारी बैंक

- कृषि, कुटिज उद्योग आदि के वित्तपोषण के उद्देश्य से स्थापित हैं।
- जमा और उधार देना दोनों गतिविधियां कर सकता है।
- नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) भारत में सहकारी क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है।

सहकारी बैंकों की संरचना

1. ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थान

(a) अल्पावधि संरचना

- एक वर्ष तक के लिए उधार दें ।
- इसे तीन स्तरीय सेट-अप में विभाजित किया गया है-

(i) राज्य सहकारी बैंक -

- राज्य में सहकारी बैंकों के लिए सर्वोच्च निकाय है।

(ii) केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक -

- जिला स्तर पर संचालन।

(iii) प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी -

- ग्राम स्तर पर संचालन।

(b) दीर्घकालिक संरचना

- एक वर्ष से अधिक के लिए पच्चीस वर्षों तक उधार देना।
- इसे दो स्तरीय सेट-अप में विभाजित किया गया है

  (i) राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा

  (ii) प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

2. शहरी सहकारी ऋण संस्थान

- शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं।
- छोटे व्यवसायों और उधारकर्ताओं को उधार देना।

2. उप-बाजार

- उप-बाजार निवेश के लिए संसाधनों का निर्माण करने हेतु और नियमित गतिविधियों के लिए धन में कमी को पूरा करने हेतु बाजार हैं।
- सरकार, वित्तीय संस्थान तथा उद्योग उप-बाजार में भाग लेते हैं।

उप-बाजार की संरचना

(i) कॉल मनी मार्किट

- लघु सूचना बाजार के रूप में जाना जाता है ।
- आमतौर पर अंतर बैंक उधार लेने और ऋण देने के लिए उपयोग किया जाता है।
- एक से चौदह दिनों तक की सीमा के लिए ऋण।

- यह भी दो श्रेणियों में विभाजित है- ओवरनाइट बाजार (एक दिन के भीतर) B. लघु सूचना बाजार (चौदह दिन तक)

(ii) बिल बाजार या डिस्काउंट बाजार

(a) राजकोष बिल -

- सरकारी राजकोष द्वारा जारी।
- अल्पावधि ऋण के लिए उपयोग किया जाता है।
- गैर-ब्याज बीयरिंग (शून्य कूपन बांड) छूट कीमत पर जारी ।

(b) वाणिज्यिक बिल बाजार -

- राजकोष बिलों के अलावा अन्य बिल।
- व्यापारियों और उद्योगों द्वारा जारी।

(iii) दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां

- दीर्घकालिक परिपक्वता के लिए उपयोग किया जाता है।

(iv) जमा प्रमाणपत्र

- वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किए गए ।

(v) वाणिज्यिक पत्र

- कॉर्पोरेट, प्राथमिक डीलरों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी।

पूंजी बाज़ार

मुद्रा बाजार

- इसका प्रयोग कम समय के ऋण के लिए होता है।
- सामान्यतया इसे 1 साल तक के ऋण के लिए उपयोग करते हैं|
- इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कुछ एनबीएफसी इत्यादि शामिल है।

पूंजी बाजार

- इसका प्रयोग लंबे समय के ऋण के लिए होता है।
- सामान्यतया इसे 1 साल से ज्यादा वर्ष वाले ऋण के लिए उपयोग करते हैं|
- इसमें स्टॉक एक्सचेंज, हाउसिंग फाइनेंस कम्पनियाँ, बीमा कम्पनियाँ इत्यादि शामिल है।
- पूंजी बाजार में सूचीबद्ध सभी संस्थानों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को एनबीएफसी कहते है। लेकिन यह आवश्यक नहीं की सभी एनबीएफसी पूंजी बाजार का हिस्सा हो।

  एनबीएफसी (NBFCs)

  एनबीएफसी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। यह निम्न पहलुओ में बैंको से भिन्न है -

(i) यह डिमांड डिपॉजिट्स (मांग जमा) स्वीकार नहीं कर सकते।

(ii) एनबीएफसी का उनके जमा राशि पर बीमा कवर नहीं होता है, जबकि बैंक के जमा राशि का जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से बीमा कवर होता है।

पूंजी बाजार के संघटक

- यह मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित है -

  (A) प्रतिभूति बाजार

  (B) विकास वित्तीय संस्थानो

  (c) वित्तीय मध्यस्थ

(A) प्रतिभूति बाजार

- यह शेयर और कर्ज उपकरणों में डील करता है। यह उपकरण धन जुटाने में प्रयोग होता है।
- शेयर उपकरण में हम इक्विटी शेयर, डेरिवेटिव्स इत्यादि को शामिल करते है। इन उपकरणों में निवेशको के लिए पूंजी, लाभ और हानि में सहयोगी होते है।
- ऋण उपकरण में हम बांड्स, डिबेंचर इत्यादि को शामिल करते है। इन उपकरणों में लाभ या हानि से अलग हमे ऋण उपकरण धारक को ब्याज के भुगतान की आवश्यकता होती है।
- डिबेंचर (Debentures)- इसमें ऋणदाता कंपनियों को कुछ जमानत (जैसे की प्लांट, मशीनरी इत्यादि) के बदले ऋण देती है। लेकिन बांड के केस में ऋणदाता कंपनियों को बिना किसी जमानत के ऋण देती है।
- शेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते है – पहला इक्विटी शेयर और दूसरा परेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में धारक पूंजी, लाभ और हानि पर दावा करता है। प्रीफ्रेंस शेयर्स में धारक एक निश्चित मात्रा में डिविडेंड पाने का हकदार होता है। कंपनी के बंद होने के मामले में प्रिफरेंस शेयरहोल्डर को पूंजी के वापस भुगतान पाने का प्रेफेरेंशियल अधिकार होता है।

प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए, हमारे पास प्राथमिक (न्यू इशू) और द्वितीयक (ओल्ड इशू) बाजार है।

प्राथमिक Primary (न्यू इशू मार्किट)

- इसमें जारीकर्ता प्रतिभूति जारी करता है और जनता खरीदती है। इसमें नए या पहली बार वाले प्रतिभूतियों को ख़रीदा जाता है।
- प्राथमिक बाजार में यदि कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करता है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) कहते है।
- यदि किसी कंपनी ने पहले से ही शेयर जारी किया हुआ हो, और वह अतिरिक्त धन जुटाने के लिए दोबारा शेयर जारी करता है तो इसे फॉलो ओन पब्लिक ओफ़रिंग (एफपीओ) कहा जाता है।

द्वितीयक Secondary (ओल्ड इशू मार्किट)

- न्यू इशू (प्राइमरी) मार्किट में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पहले से जारी किया जा चूका है।

- इस मार्किट में व्यापार के लिए दो तरह के प्लेटफार्म है -
  (1) स्टॉक एक्सचेंज (केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ), (2) काउंटर एक्सचेंज से अधिक (प्रतिभूतियाँ जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है)

प्रतिभूति बाजार में प्रयोग की जाने वाली शब्दाबली

- घोषित मूल्य अंक (Declared Price Issue)- एक ही मूल्य
- बुक बिल्डिंग अंक (Book Building Issue)- मांग के अनुसार मूल्य निर्धारण
- मर्चेंट बैंकर (Merchant Banker)- जारीकर्ता धन जुटाने की गतिविधियों के लिए इसे नियुक्त करता है
- अधिकृत पूंजी (Authorised Capital)- कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा अधिकृत की गई राशि जो की कम्पनी द्वारा जुटाया जा सकता है
- जारीकर्ता पूंजी(Issuer Capital)- कंपनी द्वारा जारी की गई वास्तविक राशि
- सब्सक्राइबर पूंजी(Subscriber Capital)- जनता द्वारा सब्सक्राइब की गई वास्तविक राशि
- अंडरराइटर(Underwriter)- यह एक वित्तीय मध्यस्थ है जो अनसब्सक्राइब पूंजी के खरीद का वादा करता है।
- कॉल्ड अप पूंजी (Called up Capital)- कंपनी किश्तों में पैसे जमा करती है और ग्राहकों से लिए गए पैसो के एक भाग को कॉल्ड अप पूंजी कहते है।
- पेड अप पूंजी(Paid up Capital)- ग्राहकों द्वारा चुकाया गया वास्तविक राशि ।
- रिज़र्व कैपिटल (Reserve Capital)- मांग न किया जाने वाले धनराशी का हिस्सा।
- राईट इशू (Right Issue) – इसमें मौजूदा शेयरहोल्डर को एफपीओ द्वारा प्रतिभूति प्रस्ताव।
- बोनस ईशु(Bonus Issue)-मौजूदा शेयर के लाभ के मुकाबले शेयर जारी करना।
- स्वेट इक्विटी इशू (Sweat Equity Issue)- कर्मचारियों को कंपनी के लिए किये गए कठिन परिश्रम के लिए शेयर का प्रस्ताव।
- नकद व्यापार(Cash trading)- व्यापार दिवस की कीमत पर प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद।
- फॉरवर्ड ट्रेडिंग(Forward trading)-दोनों खरीदार और विक्रेता प्रतिभूतियों के पहले से सहमत कीमतों पर खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करते है।
- डेरीवेटिव (Derivatives)-इसका कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता है, इसका मूल्य अन्तर्निहित प्रतिभूति के कारण होता है जिसका व्यापार होना होता है।
- डीम्युचुअलाईजेशन (Demutualisation)- शेयर को ब्रोकर से पब्लिक को हस्तांतरण करने के प्रक्रिया।

स्टॉक एक्सचेंज

- भारत में दो महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज है – एनएसई और बीएसई।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)-

- यह फेरवानी समिति के सिफारिशों पर 1992 में स्थापित किया गया था।
- निफ्टी और निफ्टी जूनियर एनएसई के सूचकांक है। निफ्टी टॉप के 50 शेयर और निफ्टी जूनियर उसके बाद के 50 शेयरों की कीमतों की देखरेख करता है।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)-

- यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और 1875 में स्थापित किया गया था।
- सेंसेक्स (संवेदनशील सूचकांक) बीएसई का सूचकांक है। सेंसेक्स टॉप की 30 कंपनियों के शेयर की कीमतों में उछाल की देखरेख करता है।

डिपाजिटरीज (Depositaries)-

- इसमें निवेशक अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट (डी- मैटेरियलाइज्ड) के रूप में रखते है। वर्तमान में भारत में दो डिपाजिटरीज है।

  (1) एनएसडीएल (नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड)- यह मुंबई में स्थित है।

  (2) सीडीएसएल (सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज लिमिटेड)- यह भी मुंबई में स्थित है।

(B) <u>विकास वित्तीय संस्थान</u>

- वे लंबे समय के लिए लोन, एन्त्रेप्रेनेउरिअल सहायता (तकनीकी सलाह इत्यादि) प्रदान करते है।
- इसके उदहारण है - आईडीबीआई, ईएक्सआईएम बैंक इत्यादि।

(C) <u>वित्तीय मध्यस्थ</u>

- RBI द्वारा विनियमित -

  (1) संपत्ति फाइनेंस कंपनी

  (2) लोन कंपनी

  (3) निवेश कंपनी
- सेबी द्वारा विनियमित -

  (1) वेंचर कैपिटल फण्ड

  (2) मर्चेंट बैंकिंग कम्पनीज

  (3) स्टॉक ब्रोकिंग कम्पनीज

बैलेंस ऑफ़ पेमेंट (भुगतान संतुलन)

परिचय

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ) ने भुगतान संतुलन (बी.ओ.पी) को एक सांख्यिकीय विवरण के रूप में परिभाषित किया है जो एक विशिष्ट समयावधि में एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच आर्थिक लेन-देन को सारांशित करता है।
- इस प्रकार, बी.ओ.पी में सभी प्रकार के लेन-देन शामिल हैं-

- (a) एक अर्थव्यवस्था और बाकी दुनिया के बीच माल, सेवाओं और आय का लेन-देन
  (b) उस अर्थव्यवस्था के मौद्रिक स्वर्ण, स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एस.डी.आर) का बाकी दुनिया में वित्तीय दावों और देनदारियों में स्वामित्व और अन्य परिवर्तनों में परिवर्तन, और
  (c) अप्रतिदत्त हस्तांतरण (unrequited transfers)- पैसे का हस्तांतरण जिसमें बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं हैं|
  उदाहरण- विदेशी सहायता, ऋण क्षमा आदि
- इन लेन-देनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है-
  (i) चालू खाता
  (ii) पूंजी खाता और वित्तीय खाता
- भुगतान संतुलन मुख्यत:, एक देश के निवासियों द्वारा किए गए सभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड है।
- भुगतान संतुलन हमें इस बात से अवगत कराता है कि देश में बचत कितनी है और घाटा कितना है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि देश अपने विकास के लिए पर्याप्त आर्थिक उत्पादन कर रहा है या नहीं।

जब बी.ओ.पी घाटे में है, तो इसका अर्थ है-

- भुगतान संतुलन में घाटे का अर्थ है कि देश अपने निर्यात से अधिक समान, सेवाओं और पूंजी का आयात करता है।
- देश को अपने आयात के भुगतान के लिए अन्य देशों से उधार लेना चाहिए।
- अल्पावधि के लिए, यह आर्थिक विकास में वृद्धि करता है। लेकिन, दीर्घावधि में, देश विश्व के आर्थिक उत्पादन का निर्माता न होकर निवल उपभोक्ता बन जाता है।
- देश भविष्य में, विकास में निवेश करने के बजाय उपभोग के भुगतान के लिए कर्ज में डूब जाता है। यदि यह घाटा लंबी अवधि के लिए जारी रहता है, तो देश कर्ज में बुरी तरह फंस जाता है और अपने कर्ज को चुकाने के लिए अपनी संपत्ति बेंच सकता है।

जब बी.ओ.पी लाभ में है, तो इसका अर्थ है-

- भुगतान संतुलन के लाभ में होने का अर्थ है कि देश का निर्यात उसके आयात से अधिक है।
- देश अपनी आमदनी से अधिक की बचत करता है। यह उसकी अतिरिक्त आय के साथ पूंजी निर्माण में वृद्धि करता है। यहां तक कि वे देश के बाहर भी ऋण दे सकते हैं।
- लंबी अवधि के लिए, देश निर्यात-आधारित वृद्धि पर अधिक निर्भर करता है। उसे अपने निवासियों को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बड़ा घरेलू बाजार, विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से देश की रक्षा करेगा।

बी.ओ.पी के घटक

- बी.ओ.पी को दो प्रकार के खातों में विभाजित किया जा सकता है-
  1. चालू खाता
  2. पूंजी और वित्तीय खाता

चालू खाता (Current Account)

- चालू खाता एक अर्थव्यवस्था और बाकी दुनिया के बीच के मूल संसाधनों (माल, सेवाओं, आय और हस्तांतरण) को मापता है।
- चालू खाते को आगे व्यापारिक खाता (merchandise account) और इनविजिबल खाता (invisibles account) में विभाजित किया जा सकता है।
- व्यापारिक खाते में माल के आयात और निर्यात से संबंधित लेन-देन शामिल हैं।
- इनविजिबल खाते में, तीन व्यापक श्रेणियां हैं-
  1. गैर-कारक सेवाएं जैसे कि यात्रा, परिवहन, बीमा और विविध सेवाएं-
  2. हस्तांतरण जिसमें विनिमय में कोई मुद्रा शामिल नहीं है, और
  3. आय जिसमें कर्मचारियों के मुआवजे और निवेश आय शामिल है।

चालू खाता घाटा (करंट अकाउंट डेफिसिट)

- चालू खाता घाटा (सीएडी) = व्यापार घाटा + विदेश से शुद्ध आय + नेट स्थानांतरण
  नोट: यहां व्यापार घाटा = निर्यात-आयात
- इसलिए हम यहां देख सकते हैं कि व्यापार घाटा और चालू खाता घाटा दोनों अलग हैं और व्यापार घाटा वर्तमान खाता घाटा का एक घटक है।

पूंजी और वित्तीय खाता

- पूंजी और वित्तीय खाता, दुनिया के बाकी हिस्सों में वित्तीय दावों में शुद्ध परिवर्तन को दर्शाता है-
  नोट-
  पिछले भुगतान संतुलन पूंजी खाते को, भुगतान संतुलन मैनुअल (आई.एम.एफ) के पांचवें संस्करण के अनुसार पूंजी और वित्तीय खाते के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।
- पूंजी खाते को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-
  1. गैर-ऋण प्रवाह जैसे प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश
  2. ऋण प्रवाह जैसे बाहरी सहायता, वाणिज्यिक उधार, गैर-निवासी जमा, आदि
- वित्तीय खाता, बाहरी वित्तीय संपत्ति और देनदारियों में एक अर्थव्यवस्था के लेन-देन का रिकॉर्ड रखता है।
- सभी घटक, निवेश के प्रकार या कार्यात्मक अवयव के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं-
  1. प्रत्यक्ष निवेश
  2. पोर्टफोलियो निवेश

3. अन्य निवेश
4. आरक्षित संपत्ति

- चालू खाते और पूंजी खाते का योग, समग्र शेष धनराशि को दर्शाता है, जो लाभ या घाटे में हो सकती है। समग्र शेष धनराशि में परिवर्तन, देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व में दिखाई पड़ता है।

केंद्रीय बजट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान में एक ऐसे दस्तावेज के लिए एक प्रावधान (अनुच्छेद 112) है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, जो आमतौर पर बजट शब्द को संदर्भित करता है।

बजट का परिचय

- बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का विवरण है, जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है।
- सरकार की ये प्राप्तियां और व्यय तीन भागों में विभाजित हैं:
  1. भारत की समेकित निधि
  2. भारत की आकस्मिकता निधि
  3. भारत के सार्वजनिक खाते
- बजट में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक संबंधित क्षेत्र या उप-क्षेत्र के लिए डेटा के तीन सेट हैं।
- जो निम्नानुसार हैं :
  1. पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े
  2. चालू वर्ष का अनंतिम डेटा
  3. अगले वर्ष के लिए बजटीय अनुमान
- बजट में राजस्व और पूंजी प्राप्तियां, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, व्यय का अनुमान, आगामी वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, अर्थात् कराधान प्रस्ताव, व्यय कार्यक्रम और नई योजनाओं / परियोजनाओं का परिचय शामिल है।

भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की निधियां

समेकित निधि

- समेकित निधि में सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, जिसमें इसके द्वारा उठाए गए ऋणों, इसके द्वारा स्वीकृत ऋणों की वसूली, कर और अन्य राजस्व शामिल हैं।
- इस निधि को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत स्थापित किया गया था।
- इस निधि से किसी भी तरह की निकासी के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है।

आकस्मिकता निधि

- आकस्मिकता निधि आपातकालीन व्यय को पूरा करने हेतु सरकार के लिए अलग से रखी गई निधि है, जिसके लिए स्वीकृती लेने का इंतजार नहीं किया जा सकता।
- इस निधि को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत स्थापित किया गया था।
- यह निधि राष्ट्रपति के निपटान में रखी जाती है।

भारत के सार्वजनिक खाते

- सार्वजनिक खातों में पैसे शामिल हैं जो सरकार को विभिन्न योजनाओं जैसे लघु बचत योजनाएं या समर्पित फंड जैसी भविष्य निधि, जमा और अग्रिम राशि से प्राप्त होते हैं।
- इस निधि को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित किया गया था।

संसद में बजट

- सबसे पहले, बजत को वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है और वह 'बजट भाषण' देते हैं।
- फिर सदन में सामान्य चर्चा की जाती है।
- इसके बाद, इसे चर्चा के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है।
- चर्चा खत्म होने के बाद, सदनों को 3 से 4 सप्ताह तक स्थगित कर दिया जाता है।
- इस अंतराल के दौरान, 24 विभागीय स्थायी समितियां संबंधित मंत्रियों के अनुदानों हेतु मांगों की जांच तथा विस्तृत रूप से चर्चा करके, उनके बारे में रिपोर्ट तैयार करती हैं।
- इन रिपोर्टों पर विचार करने के साथ अनुदानों की मांग हेतु मतदान किया जाएगा।
- मांगों मंत्रालयों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है।
- वोट मिलने के बाद एक मांग को स्वीकृत किया जाएगा।
- संविधान के अनुच्छेद 113 में अनुदानों की मांग के प्रावधान शामिल हैं।
- अनुदान की मांगों का मतदान लोकसभा का एक विशेषाधिकार है, वे राज्यसभा है, जो उस पर केवल चर्चा कर सकती है और इसके लिए मतदान करने को कोई अधिकार नहीं है।
- मांगों के मतदान के लिए कुल 26 दिन आवंटित किए गए हैं। आखिरी दिन पर, स्पीकर सभी शेष मांगों को वोट देने और उनके निपटारे के बारे में बोलता हैं, चाहे उन पर चर्चा हुई हो या नहीं। इसे 'गुईलोटिन' ('Guillotine') कहा जाता है।
- इसलिए, जो राशि मंत्री द्वारा मांगी गई है, वे उसे लोकसभा द्वारा दिए गए अनुदानों के बिना प्राप्त नहीं हो सकती।

संसद में प्रस्ताव

- अनुदानों की मांग पर मतदान के समय, संसद सदस्य अनुदान के लिए किसी भी मांग को कम करने हेतु प्रस्ताव चला सकते हैं।
- ऐसे प्रस्ताव निम्नानुसार हैं :-

  1. पॉलिसी कट प्रस्ताव :- यह मांग के अधीन पॉलिसी की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है और

मांग की मात्रा को 1 रुपये तक कम कर देता है।

2. इकोनोमी कट प्रस्ताव :- मांग की इस राशि में एक निश्चित राशि कम कर दी जाती है।

3. टोकन कट प्रस्ताव :- इस प्रस्ताव में भारत सरकार की ज़िम्मेदारी के दायरे के भीतर एक विशिष्ट शिकायत की मांग करने हेतु मांग की राशि को 100 रूपये तक कम किया जाता है।

लेखानुदान

- नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले, सरकार को देश के प्रशासन को चलाने के उद्देश्य से पर्याप्त वित्त रखने की आवश्यकता होती है।
- संविधान के अनुच्छेद 116 में लेखानुदान पर मतदान का प्रावधान शामिल है।
- इससे सरकार को थोड़े समय के लिए या जब तक पूर्ण बजट पारित नहीं किया जाता है, तब तक अपने खर्चों को निधि देने की अनुमति मिल जाती है।
- आमतौर पर, लेखानुदान केवल दो माह के लिए लिया जाता है।

समायोजन बिल

- इसे लोक सभा में अनुदान की मांग को पारित करने के बाद सरकार को भारत की समेकित निधि से और बाहर के व्यय का अधिकार देने के लिए पेश किया गया है ।
- कानून (अनुच्छेद 266) द्वारा बनाए गए समायोजन के अलावा भारत की समेकित निधि से कोई पैसा वापस नहीं लिया जाएगा ।

वित्त विधेयक

- यह लोकसभा में आम बजट के प्रस्तुतीकरण के तुरंत बाद लोकसभा में पेश किए गए सरकार के कराधान प्रस्तावों को प्रभावी बनाने हेतु समायोजन विधेयक को पारित करने के बाद पेश किया गया है।

वित्त विधेयक के प्रकार

1. मुद्रा विधेयक –

- यह वित्तीय बिल हैं जिनमें अनुच्छेद -110 (1) (a) में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- इसे लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है।
- इसे केवल मंत्री ही लोक सभा में पेश कर सकता है।
- केवल लोकसभा को मुद्रा विधेयक के मामले में वोट करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य सभा केवल लोकसभा को सलाह दे सकती है।
- मुद्रा विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

2. वित्त विधेयक श्रेणी- ।

- इसे लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है।
- लेकिन इस मामले में, राज्यसभा को इस बिल को अस्वीकार करने की शक्ति है।

- इस प्रकार के बिलों में संयुक्त बैठकों का प्रावधान है।

3. वित्त विधेयक श्रेणी- II

- यह वित्तीय विधेयक है, जिनमें अनुच्छेद -110 में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित प्रावधान शामिल नहीं हैं।

आर्थिक सिद्धांत : व्यष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत

महत्वपूर्ण वक्र

1. लॉरेंज वक्र:

- लॉरेंज वक्र समाज में आय के वितरण का ग्राफीय निरूपण है।
- इसे मैक्स ओ. लॉरेन्ज़ द्वारा 1905 में दिया गया था। इसका प्रयोग जनसंख्या में असमानता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।
- इस ग्राफ में, राष्ट्रीय आय के संचयी प्रतिशत को घरों के संचयी प्रतिशत पर खींचा जाता है।
- वक्र में पूर्ण समानता रेखा से झुकाव की कोटि समाज में असामनता की माप होती है।
- इसे गिनी गुणांक द्वारा दिया जाता है।
- गिनी गुणांक: यह पूर्ण समानता रेखा के संगत क्षेत्र के सापेक्ष छायांकित क्षेत्र का अनुपात है। इसका मान जितना अधिक होगा समाज में असमानता उतनी ही अधिक होगी।

2. लाफेर वक्र:

- लाफेर वक्र राज्य प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए करों और संग्रहित करों के बीच संबंध को प्रकट करता है।
- इसके अनुसार जैसे-जैसे कर दरों में निम्न स्तर से वृद्धि होती है, कर संग्रह भी बढ़ता है लेकिन एक महत्वपूर्ण सीमा के बाद कर की दर बढ़ने पर, कर संग्रह घटने लगता है।
- यह उच्च कर दरों के कारण निम्न लाभ होने और चोरी करके उच्च लाभ अर्जित करने से जुड़ी है।

3. फिलिप्स वक्र

- इसे न्यूज़ीलैण्ड के अर्थशास्त्री ए. विलियम फिलिप्स ने दिया था।
- इसके अनुसार, यह मुद्रास्फिति और बेरोजगारी के बीच एक व्युत्क्रम एवं स्थिर संबंध है अर्थात जब एक गिरता है, तो दूसरा बढ़ता है।
- इसके लिए एक पद और भी है जो उच्च मुद्रास्फिति और उच्च बेरोजागारी की समकालिक उपस्थिति को परिभाषित करता है, जैसे उच्च मुद्रास्फिति के साथ निम्न विकास, जिसे अवस्फिति भी कहते हैं।

4. कुज़नेट्स वक्र

- कुज़नेट्स वक्र एक परिकल्पना पर आधारित है जिसे अर्थशास्त्री सिमोन कुज़नेट्स ने आगे बढ़ाया था।
- इस परिकल्पना के अनुसार, जब एक देश विकसित होना शुरु होता है, तो पहले कुछ समय के लिए आर्थिक असमानता बढ़ती है लेकिन एक सीमांत के बाद, जब एक निश्चित औसत आय प्राप्त हो जाती है, तो आर्थिक असमानता कम होना शुरु हो जाती है।
- इसीलिए इसे नीचे ग्राफ में दिखाए गए अनुसार U-आकार के वक्र में प्रदर्शित किया गया है।

5. पर्यावरण कुज़नेट्स वक्र:

- यह एक ओर आर्थिक प्रगति और दूसरी ओर आर्थिक प्रगति के कारण होने वाली पर्यावरण क्षति के बीच संबंध को दर्शाता है।
- इसके अनुसार, जैसे अर्थव्यवस्था विकास यात्रा पर चढ़ती है, पहले चरण में प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन बाद में अर्थव्यवस्था के विकसित होने के साथ, प्रदूषण कम होना शुरु हो जाता है।
- और आखिर में, आर्थिक प्रगति और पर्यावरण रखरखाव साथ साथ चलते हैं।

जब आर्थिक प्रगति चरणों को x – अक्ष पर निरुपित करते हैं और पर्यावरण क्षरण को y-अक्ष पर निरुपित करते हैं, तो पर्यावरण कुज़नेट्स वक्र उल्टा U-आकार का वक्र बनता है।

ग्रेशम का नियम:

- ग्रेशम का कानून कहता है कि 'खराब धन अच्छा निकलता है'।
- इसका अर्थ है यदि किसी देश में दो मुद्राएं, सस्ती मुद्रा मंहगी मुद्रा को उपयोग से बाहर कर देती है।
- इसका कारण है लोग मंहगी मुद्रा का संग्रह करना शुरु कर देंगे और अंततः वह परिसंचरण से बाहर हो जाएगी।
- इसका यह नाम अंग्रेज वित्तीयशास्त्री सर थॉमस ग्रेशम (1519-1579) के नाम पर रखा गया है।

अवसर लागत

- किसी अगले बेहतर विकल्प को छोड़कर मौजूद विकल्प को खरीदने पर अगले बेहतर विकल्प की कीमत मौजूदा विकल्प के लिए अवसर लागत होगी।
- आसान शब्दों में, यह पहली वस्तु को त्यागकर दूसरी वस्तु लेने पर पहली वाली वस्तु की कीमत होगी।
- या दूसरे शब्दों में, किसी विकल्प के लिए चुनाव करते समय जो आप खोते हैं, वह आपके चयन की अवसर लागत होती है।

क्रमांक	वस्तु	अवसर लागत

1.	मुफ्त सामान जैसे साफ वायु, प्रचूर स्वच्छ जल आदि	नहीं
2.	आम सामान (प्रचूर)	नहीं
3.	आम सामान (दुर्लभ)	हां
4.	रक्षा में सरकारी व्यय	हां
5.	नागरिकों को सरकारी मुफ्त सेवाएं	हां
6.	सार्वजनिक वस्तुएं जैसे सड़क, रेलवे, संरचना आदि	हां

- प्राकृतिक रूप से प्रचूर मात्रा में पाए जाने वाले संसाधनों जैसे मुफ्त अप्रदूषित वायु, जल आदि और सभी आम सामों जैसे चारा भूमि, महासागरों इत्यादि के लिए भी अवसर लागत शून्य होती है।
- सरकारी व्ययों के लिए अवसर लागत कभी शून्य नहीं होती है क्योकि प्राधिकरण के पास हमेशा चयन का विकल्प होता है।
- इसलिए, किसी भी चीज को चुने जाने पर, किसी न किसी चीज को छोड़ना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि सरकार एक पुल बनाने का निर्णय लेती है, तो सरकार उस कीमत को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक कर्मी तैनात करने पर खर्च कर सकती थी।
- मुफ्त सेवाओं की स्थिति में, नागरिकों/उपभोक्ताओं के लिए, कोई अवसर लागत नहीं होती है क्योंकि यह सरकार की ओर से उनको दी जाती हैं।

उत्पादन संभावना वक्र

- निश्चित मात्रा में संसाधनों और तकनीक के साथ, दो वस्तुओं के समूह से उत्पादन के विभिन्न संयोजनों को निरुपित करके एक उत्पादन संभावना वक्र बनाया जाता है।

- इसे उत्पादन संभावना सीमा अथवा रूपांतरण वक्र भी कहते हैं।
- यह वक्र "उत्पादन का चुनाव" निर्धारित करने में सहायता करता है।
- अतः, वक्र उपलब्ध सभी उत्पादन संभावनाएं प्रदान करता है, जिसमें आर्थिक रूप से सबसे सस्ता और प्राकृतिक रूप से सबसे सुलभ उपागम को चुना जा सकता है जो लाभ को अधिकतम बनाए और संबद्ध जोखिमों को कम करे।

वक्र पर विभिन्न बिंदु

बिंदु X संसाधनों के न्यून उपयोग को दर्शाता है;

बिंदु Y अव्यवहार्य विकल्प को दर्शाता है जैसे (क्षमता से बाहर) चयनित संयोजन की गैर-अव्यवहार्यता; जबकि बिंदु A, B और C संसाधनों की पूर्ण उपयोगिता को दर्शाते हैं।

यदि उपलब्ध संसाधन तथा तकनीक बढ़ते हैं, वक्र दाएं ओर झुकता है और यदि संसाधन तथा तकनीक घटते हैं, तो वक्र बाएं ओर झुकता है।

आपूर्ति मांग वक्र:

आपूर्ति वक्र:

- यह अन्य चरों को नियत रखते हुए, बाजार में आपूर्ति के लिए तैयार निर्मित उत्पाद की मात्रा और मूल्य के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है।
- यहां उत्पाद की मात्रा को क्षैतिज x अक्ष पर और मूल्य को लंबवत y-अक्ष पर दिखाते हैं।
- प्राय: यह सरल रेखा होती है जिसका ढाल बाएं से दाएं होता है जैसा आरेख में प्रदर्शित है। इसका कारण यह है कि मूल्य और उत्पाद की मात्रा समानुपाती होते हैं, अर्थात् यदि बाजार में किसी उत्पाद की कीमत बढ़ती है, तो इसी प्रकार बाजार में इसकी खपत भी बढ़ती है (बढ़ी कीमतें आपूर्तिकर्ता को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है)।
- चरों में परिवर्तन के साथ, मांग वक्र किसी भी दिशा में झुक सकता है। यदि यह बाएं तरफ झुकता है, तो यह बाजार में उत्पाद आपूर्ति की गिरावट का संकेत देता है, यदि यह दाएं तरफ झुकता है तो यह उत्पाद की कीमत के सापेक्ष उत्पाद आपूर्ति में वृद्धि का संकेत देता है।

मांग वक्र:

- यह सभी अन्य चरों को नियत रखते हुए, उपभोक्ता द्वारा मांगे गए उत्पाद की मात्रा और मूल्य के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है।
- यह आरेख में दिखाए गए अनुसार प्राय: बाएं से दाएं झुके ढाल वाली सरल रेखा है।
- इसका कारण यह है कि उत्पाद का मूल्य और गुणवत्ता की मांग का आपस में व्युत्क्रम संबंध होता है अर्थात यदि वस्तु का मूल्य गिरता है, तो उसकी मांग बढ़ती है।

- आपूर्ति वक्र के अनुरूप यदि वक्र बाएं तरफ झुकता है, तो यह मांग में गिरावट दर्शाता है और यदि वक्र दाएं तरफ झुकता है, तो यह उत्पाद की मांग में वृद्धि को दर्शाता है।

नीचे दिए गए आरेख में:

बिंदु O पर, साम्यावस्था मूल्य होता है क्योंकि आपूर्ति = मांग।

बिंदु O के ऊपर, चूंकि आपूर्ति मांग से अधिक होती है, तो उत्पाद की कीमत घट जाती है।

बिंदु O से नीचे, चूंकि उत्पाद की मांग आपूर्ति से अधिक है, उत्पाद की कीमत और बढ़ती है।

केनेसियन सिद्धांत

केनेसियन अर्थशास्त्र

- इसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स द्वारा सन् 1930 में दी गई थी। यह महान मंदी को समझने का एक प्रयास था।
- इसने मांग को बढ़ाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर लाने के लिए सरकारी व्यय को बढ़ाने और करों को कम करने का सुझाव दिया था।

केन्स का रोजगार सिद्धांत

- इस सिद्धांत ने पूर्ण रोजगार की धारणा को नकार दिया और इसके स्थान पर सामान्य स्थिति के बजाए विशेष स्थिति में पूर्ण रोजगार का सुझाव दिया था।
- इसने कहा था यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है, तो रोजगार के स्तर में भी वृद्धि होती है और फलत: आय बढ़ती है।
- इस सिद्धांत के अनुसार, रोजगार का स्तर राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है और आउटपुट और रोजगार के स्तर का निर्धारण करते हुए उत्पादन के कारक अपरिवर्तित रहते हैं।

लेसेज फेयर सिद्धांत

- यह सिद्धांत व्यवसायिक मामलों में किसी सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता है।

विश्व व्यापार संगठन: संरचना, उद्देश्य, समझौते, आर्थिक सहायता

परिचय

- WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसे वर्ष 1995 में मारकेश समझौते के तहत सामान्य शुल्क एवं व्यापार समझौते (GATT) के स्थान पर स्थापित किया गया था।
- यह एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है।
- इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है।
- वर्तमान में, विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य देश हैं और भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है।
- वर्तमान में, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख (महानिदेशक) रॉबर्टो अजेवेडो हैं।

विश्व व्यापार संगठन का विकास

- द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी समस्याओं का मुकाबला करने में देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई थी।
- सभी देशों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था और निर्बाध व्यापार के विकास के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अत्यंत आवश्यकता महसूस की गई।
- वर्ष 1945 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस (दो ब्रेटन वुड संस्थानों – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक) नामक एक सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (ITO) के गठन के लिए आयोजित किया गया था, जो अंततः अमेरिका और कई अन्य प्रमुख देशों से अनुमोदन न मिलने के कारण स्थापित नहीं किया जा सका।
- चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व शक्ति बन रहा था, इसलिए अमेरिका के बिना ITO का सृजन निरर्थक था।
- इस बीच, समझौता वार्ता के माध्यम से, वर्ष 1947 में एक बहुपक्षीय समझौता संपन्न हुआ जिसे सामान्य शुल्क एवं व्यापार समझौते (GATT) के नाम से जाना जाता है।
- व्यापार पर प्रतिवाद के लिए निश्चित समयांतराल पर GATT के विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए गए। अंत में, वर्ष 1986 से 1994 तक आयोजित उरुग्वे सम्मेलन दौर के दौरान, WTO की स्थापना के समझौते को अंततः मारकेश समझौते के माध्यम से अंगीकृत किया गया।
- भारत वर्ष 1948 से GATT का सदस्य और विश्व व्यापार संगठन (WTO) का संस्थापक सदस्य है। चीन वर्ष 2001 में और रूस वर्ष 2012 में WTO में शामिल हुए।

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाना और उन्हें लागू करना।
- व्यापार उदारीकरण बढ़ाने में समझौता वार्ता और निगरानी के लिए एक मंच प्रदान करना।
- विवादों के निपटान के लिए एक मंच प्रदान करना।
- तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण के माध्यम से विश्व व्यापार संगठन के नियमों और अनुशासन को समायोजित करने के लिए पारगमन में विकासशील, अल्प विकसित और निम्न आय वाले देशों को सहायता प्रदान करना।
- वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख आर्थिक संस्थानों (जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF आदि) के साथ सहयोग करना।

विश्व व्यापार संगठन की संरचना

विश्व व्यापार संगठन की मूल संरचना इस प्रकार है: -

- मंत्रिस्तरीय सम्मेलन – यह विश्व व्यापार संगठन की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी बैठक आमतौर पर प्रत्येक दो वर्ष के बाद होती है। यह विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को एक मंच पर लाती है।
- प्रधान परिषद (जनरल काउंसिल) – यह सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से बनी है। यह विश्व व्यापार संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
- अन्य परिषद/संस्थाएं - गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल, व्यापार नीति समीक्षा संस्था, विवाद निपटान संस्था आदि जैसी कई अन्य संस्थाएं हैं जो अन्य विशिष्ट मुद्दों पर कार्य करती हैं।

विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत

विश्व व्यापार संगठन के समझौते निम्नलिखित प्राथमिक और आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित हैं: -

- गैर पक्षपाती
- मोस्ट फेवर्ड नेशन – सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कोई भी देश किसी अन्य सदस्य देश को कोई विशेष सहायता नहीं दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक देश दूसरे देश के लिए शुल्क कम करता है तो उसे अन्य सभी सदस्य देशों के लिए भी कम करना होगा।
- सर्व-साधारण व्यवहार (नेशनल ट्रीटमेंट)- सभी उत्पादों के लिए एक समान व्यवहार, चाहे वह स्थानीय हो या विदेशी। स्थानीय के साथ-साथ अन्य देशों से आयातित उत्पादों के साथ उचित और समान व्यवहार किया जाता है।
- पारस्परिकता - किसी अन्य देश द्वारा आयात शुल्क और अन्य व्यापार बाधाओं को कम करने के बदले में समान रियायत प्रदान करना।
- अनिवार्य और प्रवर्तनीय प्रतिबद्धताओं के माध्यम से पूर्वानुमान – व्यापार की परिस्थिति को स्थिर और पूर्वानुमानित बनाना।
- पारदर्शिता – विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को अपने व्यापार नियम जारी करने और व्यापार नीतियों में परिवर्तन के लिए विश्व व्यापार संगठन को सूचित करने की आवश्यकता होती है।
- विकास एवं आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहित करना – WTO प्रणाली द्वारा विकास में योगदान देने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं।

विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख व्यापार समझौते

विश्व व्यापार संगठन के तहत हुए महत्वपूर्ण व्यापार समझौते इस प्रकार हैं -

- कृषि पर समझौता (AoA),
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पक्षों पर समझौता (TRIPS),
- स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी अनुप्रयोगों पर समझौता (SPS),
- व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौता (TBT),

- व्यापार-संबद्ध निवेश उपायों पर समझौता (TRIMS),
- सेवा व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS) आदि

कृषि पर समझौता (AoA)

- यह समझौता GATT के उरुग्वे दौर के दौरान किया गया और यह वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ संपन्न हुआ।
- AoA के माध्यम से, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में एक निष्पक्ष और बाजार संचालित प्रणाली के साथ व्यापार में सुधार करना है।
- यह समझौता सरकारों को अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सहायता प्रदान करने की अनुमति देता है, लेकिन केवल उन्हीं नीतियों को मंजूर करता है जो न्यूनतर व्यापार 'विकृतियां' उत्पन्न करती हैं।
- इस समझौते ने निम्नलिखित तीन कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली पर सभी सदस्य राष्ट्रों की प्रतिबद्धताएं निर्धारित की हैं: -

1. बाजार पहुंच में सुधार- यह सदस्य राष्ट्रों द्वारा विभिन्न व्यापार बाधाओं को दूर करके की जा सकती है। सदस्य राष्ट्रों के बीच शुल्क निर्धारित करके और समय-समय पर मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देकर अंततः बाजार पहुंच में वृद्धि होगी।
2. घरेलू समर्थन- यह मूल रूप से घरेलू समर्थन (सब्सिडी) में कमी के लिए प्रेरित करती है जो मुक्त व्यापार और उचित कीमतों को कम करती है। यह इस धारणा पर आधारित है कि सभी सब्सिडी एक ही सीमा तक व्यापार को अव्यवस्थित नहीं करती हैं। इस समझौते के तहत, सब्सिडी को निम्नलिखित तीन बॉक्स में वर्गीकृत किया जा सकता है -

- <u>ग्रीन बॉक्स</u> – वे सभी सब्सिडी जो व्यापार को विकृत नहीं करती हैं या न्यूनतम विरूपण उत्पन्न करती हैं, ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आती हैं।
  उदाहरण- सभी सरकारी सेवाएं जैसे अनुसंधान, रोग नियंत्रण और अवसंरचना और खाद्य सुरक्षा। इसके अलावा, किसानों को दी जाने वाली वे सभी सब्सिडी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती हैं वे भी ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आती हैं।

- <u>एम्बर बॉक्स</u> – वे सभी घरेलू सब्सिडी या समर्थन जो उत्पादन और व्यापार दोनों को विकृत कर सकते हैं (कुछ अपवादों के साथ) एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आती हैं। समर्थन मूल्य के उपाय इस बॉक्स के अंतर्गत आते हैं। इसका अपवाद विकसित देशों के लिए कृषि उत्पादन की 5% और विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन की 10% तक की सब्सिडी स्वीकार करने का प्रावधान है।

- ब्लू बॉक्स – वे सभी एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो उत्पादन को सीमित करते हैं, ब्लू बॉक्स के अंतर्गत आती है। इसे बिना सीमा के तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक सब्सिडी उत्पादन-प्रतिबंधक योजनाओं से जुड़ी हो।

3. निर्यात सब्सिडी – वे सभी सब्सिडी जो कृषि उत्पादों के निर्यात को सस्ता बनाती हैं, निर्यात सब्सिडी कहलाती हैं। इन्हें मूल रूप से व्यापार-विकृत प्रभाव माना जाता है। यह समझौता सदस्य राष्ट्रों द्वारा कृषि उत्पादों के लिए निर्यात सब्सिडी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है?

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) को मूल रूप से 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबी की समस्या को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई योजना के रूप में शुरू किया गया था।
- हालांकि, काले धन के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए विमुद्रीकरण अभियान के साथ, मौजूदा आयकर विधेयक में एक संशोधन किया गया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कराधान कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016 का हिस्सा बनाया गया है।

प्रमुख घोषणाएं:

- 'कोविड-19' से लड़ने वाले प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा
- 80 करोड़ गरीबों को अगले तीन महीने तक हर माह 5 किलो गेहूं या चावल और पसंद की 1 किलो दालें मुफ्त में मिलेंगी
- 20 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को अगले तीन महीने तक हर माह 500 रुपये मिलेंगे
- मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है, 62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे
- 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगजनों को 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी
- सरकार वर्तमान 'पीएम किसान योजना' के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2,000 रुपये डालेगी, 7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे
- केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को 'भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष' का उपयोग करने के आदेश दिए हैं

ऑपरेशन फ्लड:

1970 में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने "ऑपरेशन फ्लड" शुरू किया, जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। इस कार्यक्रम की अपार सफलता के कारण इसे "श्वेत क्रांति" करार दिया गया। डॉ कुरियन, जिन्हें आमतौर पर "श्वेत क्रांति के जनक" के रूप में जाना जाता है, इस सफल प्रयास के प्रमुख वास्तुकार थे।

श्री कुरियन ने स्वेच्छा से 1949 में एक डेयरी इंजीनियर के रूप में एक सरकारी पद छोड़ दिया और कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (केडीसीएमपीयूएल) में शामिल हो गए, जिसे आज अमूल के नाम से जाना जाता है।

तब से कुरियन ने इस संगठन को भारत के सबसे बड़े और सबसे सफल संस्थानों में से एक के रूप में विकसित किया है। अमूल सहकारी मॉडल इतना सफल था कि 1965 में, तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कुरियन के "असाधारण और जोरदार नेतृत्व" की प्रशंसा करते हुए इसे पूरे देश में दोहराने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की स्थापना की।

ऑपरेशन फ्लड:

ऑपरेशन फ्लड तीन चरणों में पूरा हुआ:

प्रथम चरण (1970-79):- इस चरण के दौरान, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के चार महानगरों में उपभोक्ताओं को देश के 18 प्राथमिक दुग्धशालाओं से जोड़ा गया। इस फेज में कुल 116 करोड़ रुपये खर्च हुए। मुख्य लक्ष्य दूध बाजार पर नियंत्रण हासिल करना और ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी पशुओं के विकास में तेजी लाना था।

द्वित्य चरण (1981-1985): - मिल्क शेड को 18 से बढ़ाकर 136 कर दिया गया और दूध के आउटलेट को 290 महानगरीय बाजारों में विस्तारित किया गया। 1985 के अंत तक, 42.5 लाख दुग्ध उत्पादकों के साथ 43000 ग्राम सहकारी समितियों को कवर किया गया था, जिसके

परिणामस्वरूप यह एक आत्मनिर्भर प्रणाली बन गई थी। 1989 तक, घरेलू दूध पाउडर का उत्पादन 22,000 से बढ़कर 140,000 टन हो गया था।

त्रित्य चरण (1985-1996): - डेयरी सहकारी समितियां दूध की बढ़ती मात्रा को खरीदने और बाजार में बेचने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने में सक्षम थीं। सहकारी सदस्यों के पास अब पशु चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल, फ़ीड और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के साथ-साथ बढ़ी हुई सदस्य शिक्षा तक पहुंच है। दूसरे चरण के दौरान, पहले से मौजूद 42,000 समितियों में 30,000 नई डेयरी सहकारी समितियों को जोड़ने का निर्णय लिया गया। 1988-89 में, महिला सदस्यों और महिला डेयरी सहकारी समितियों की संख्या में नाटकीय रूप से विस्तार होने के साथ, दुग्धशालाओं की संख्या 173 के उच्च स्तर पर पहुंच गई।

अमूल:

("अनमोल")। संस्कृत "अमूल्य" से व्युत्पन्न डेयरी सहकारी "अमूल" की स्थापना 1946 में हुई थी। यह गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF) द्वारा नियंत्रित एक ब्रांड नाम है, जो 2.8 मिलियन किसानों द्वारा नियंत्रित एक शीर्ष सहकारी संगठन है। श्वेत क्रांति के लिए अमूल एक आदर्श मॉडल था। एनडीडीबी का पूरा कार्यक्रम इसी डेयरी बोर्ड की सफलता पर आधारित था। देश की श्वेत क्रांति लाने में त्रिस्तरीय 'अमूल मॉडल' महत्वपूर्ण था।

श्वेत क्रांति की उपलब्धियां

- इसने दूध उत्पादन में भारत के अभूतपूर्व विकास को सक्षम बनाया है, जो केवल 40 वर्षों में 20 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 100 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। नतीजतन, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है।

- डेयरी सहकारी आंदोलन ने भारतीय डेयरी उत्पादकों को और अधिक पशुओं को रखने के लिए प्रेरित किया है, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी और भैंस की आबादी 500 मिलियन है।

- 22 राज्यों के 180 जिलों में 125,000 से अधिक समुदाय डेयरी सहकारी आंदोलन में शामिल हो गए हैं।

• जिला और राज्य स्तरों पर एक अच्छी तरह से विकसित खरीद प्रणाली और समर्थित संघीय ढांचे के कारण, आंदोलन प्रभावी रहा है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास: सार्वजनिक और निजी

भारत के विकास की प्रक्रिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुनने का निर्णय अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प है या नहीं, इस पर सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच कभी भी आम सहमति नहीं बनी और आम सहमति का यह अभाव आज भी जारी है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक साथ काम करने पर सहमती बनती है। यह बाजार तंत्र को स्वतंत्र रूप से चलने से रोकता है, और सरकार निजी क्षेत्र में इस तरह से हस्तक्षेप करती है या नियंत्रित करती है कि दोनों क्षेत्र परस्पर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत पहल और सामाजिक हितों को समेटा जा सकता है।

यह पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण है, इसलिए हमे दोनों के बारे में जानना चाहिए।

पूंजीवाद:

पूंजीवाद को एक आर्थिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक बाजार अर्थव्यवस्था, लाभ के मकसद और निजी स्वामित्व के साथ व्यक्तिगत पहल पर जोर देती है। उत्पादन के सभी साधन, जिसमें खेत, कारखाने, खदानें और परिवहन शामिल हैं, पूंजीवाद के तहत निजी व्यक्तियों और व्यवसायों के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। इन औद्योगिक संपत्तियों के मालिक निजी लाभ उत्पन्न करने के लिए उनका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि वे उपयुक्त समझते हैं। राज्य या सरकार लोगों की आर्थिक गतिविधियों में सबसे छोटी भूमिका निभाती है। सरकार केवल रक्षा, विदेशी मामलों, मुद्रा और सिक्का और कुछ महत्वपूर्ण सिविल

कार्यों जैसे सड़कों और पुलों के निर्माण जैसे मामलों को देखती है क्योंकि निजी व्यक्तियों को ऐसे कार्यों को करने में लाभ नहीं मिल सकता है।

पूंजीवाद की विशेषताएं

1) निजी संपत्ति का अधिकार

2) उद्यम की स्वतंत्रता: किसी भी व्यवसाय या उद्यम में कोई प्रतिबंध नहीं

3) प्रॉफिट मोटिव

4) प्रतियोगिता

5) उपभोक्ता संप्रभुता

6) मूल्य प्रणाली

7) आय का असमान वितरण

समाजवाद

"समाजवाद एक आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पादन के भौतिक साधनों पर एक सामान्य आर्थिक योजना के अनुसार पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है, जिसमें सभी सदस्य समान अधिकारों के आधार पर इस तरह के सामाजिक नियोजित उत्पादन से लाभ पाने के हकदार होते हैं; दूसरी ओर लोकतांत्रिक समाजवाद हाथ, कम से कम "उत्पादन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भौतिक साधनों" के सार्वजनिक स्वामित्व द्वारा परिभाषित किया गया है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं:

पूंजीवाद और समाजवाद के दो चरम सीमाओं के बीच, आइए मिश्रित अर्थव्यवस्था को कार्यात्मक शब्दों में परिभाषित करें।

byjusexamprep.com

o यह बाजार अर्थव्यवस्था और समाजवाद तंत्र के बीच संतुलन है;

∘ इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन किया गया है ताकि 'मुख्य क्षेत्र और रणनीतिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में अनिवार्य रूप से हों;

o जबकि लाभ का उद्देश्य निजी क्षेत्र में निर्णय लेने को प्रभावित करता है, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश निर्णयों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता मानदंड सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण पर आधारित है;

o सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के बीच उत्पादन के साधनों का स्वामित्व इस प्रकार तय किया जाता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक प्रोत्साहन और अनुभागीय और सामान्य हितों के बीच संतुलन हो;

∘ व्यावसायिक स्वतंत्रता और उपभोक्ताओं की पसंद की स्वतंत्रता है;

o सरकार आर्थिक शक्ति के अनुचित संकेंद्रण और एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है;

o सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों आदि के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के उपभोग स्तर और उद्देश्यों की देखभाल करने का प्रयास करती है;

o समानता, रोजगार, संतुलित क्षेत्रीय विकास, परिवार कल्याण के सामाजिक उद्देश्यों पर बल दिया जाता है;

समाजवाद की सैद्धांतिक कठोरता से बचा जाता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था केवल एक आर्थिक अवधारणा नहीं है और व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान और संरक्षण केवल सार्वजनिक कानून की आवश्यकताओं के अधीन होता है और आदेश और नैतिकता।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में ही, भारतीय नीति निर्माताओं ने निर्णय लिया कि राज्य को न केवल बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक उपरिव्यय प्रदान करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए,

बल्कि प्रत्यक्ष प्रचार कार्य भी करना चाहिए। यह माना गया कि सरकार को औद्योगिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए और तदनुसार बुनियादी और सामरिक उद्योगों के विकास को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया था। यह भी माना गया कि देश के आर्थिक विकास का कार्य इतना बड़ा था कि इष्टतम विकास के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की पहल का उपयोग करना पड़ा।

औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 की घोषणा के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को एक निश्चित आकार और नीति दिशा प्रदान की गई। इससे पहले भी, 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित करने की मांग की गई थी, सभी उद्योगों को विनियमित करने के लिए सरकारी हाथों में नियंत्रण बढ़ाना।

औद्योगिक नीति के दो मुख्य साधन थे, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 और कंपनी अधिनियम 1956। इन दो अधिनियमों ने सरकार को लाइसेंस प्रक्रिया के माध्यम से, प्रमुख उद्योगों के स्थान, उत्पादन और विस्तार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान की। देश।

औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवादी संकल्प ने सरकार की आर्थिक और औद्योगिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के एक समाजवादी पैटर्न की स्थापना की घोषणा की।

अनुसूची A: वे उद्योग जो राज्य की एकमात्र जिम्मेदारी थी। इस सूची में 17 उद्योग शामिल थे - हथियार और गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा, लोहा और इस्पात, खनन के लिए आवश्यक भारी मशीनरी आदि।

अनुसूची B: सूची में लगभग एक दर्जन उद्योग थे, जहाँ राज्य नई इकाइयाँ स्थापित कर सकता था या मौजूदा इकाइयों का उत्तरोत्तर राष्ट्रीयकरण किया जा सकता था।

अनुसूची C: उद्योग जो निजी क्षेत्र के हाथों में होंगे और सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीति के अधीन होंगे।

औद्योगिक नीति संकल्प, 1977: 1977 की नई औद्योगिक नीति ने 1956 के बारे में कहा "बेरोजगारी बढ़ी है, ग्रामीण-शहरी असंतुलन गहराया है, और वास्तविक निवेश की गति ठप हो गई है," । औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर तीन से चार प्रतिशत के बीच रही है।

• नई नीति में लघु क्षेत्र, कुटीर और घरेलू उद्योग और लघु क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया।

• इसमें आगे बड़े औद्योगिक घरानों के विस्तार के खिलाफ एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करने का प्रावधान है।

• सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग बुनियादी प्रकृति के रणनीतिक सामान उपलब्ध कराने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी किया जाना था

औद्योगिक नीति 1980: इसने औद्योगिक नीति, 1956 की घोषणाओं को दोहराया जिसमें रचनात्मक लचीलेपन का गुण दिखाया गया था। देश में आर्थिक बुनियादी ढांचे के स्तंभों को ऊपर उठाने का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र को इसकी अधिक विश्वसनीयता के कारणों के लिए सौंपा गया था। नीति में स्थापित क्षमता के इष्टतम उपयोग, संतुलित क्षेत्रीय विकास, कृषि-आधारित, निर्यातोन्मुख उद्योगों और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी लेकिन बढ़ती औद्योगिक इकाइयों पर निवेश के समान प्रसार द्वारा "आर्थिक संघवाद" को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी गई।

1991 के बाद सुधार: LPG सुधार

भारत में एलपीजी सुधार भारत के आर्थिक विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। यह विषय यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य के लिए महत्वपूर्ण है।

स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने समाजवादी आर्थिक प्रणाली के साथ पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के लाभों को संयुक्त करके मिश्रित अर्थव्यवस्था ढांचे का अनुसरण किया है। वर्ष 1991 में, भारत अपने बाहरी ऋण से संबंधित एक आर्थिक संकट से निपटा था- सरकार विदेशों से अपने ऋण का पुनर्भुगतान करने में सक्षम नहीं थी क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया था। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से संकट ओर बढ़ गया था। इन सभी ने सरकार को

नीतिगत उपायों का एक नया सेट पेश करने हेतु प्रेरित किया, जिसने हमारी विकास रणनीतियों की दिशा बदल दी।

अब, हम संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर उनके प्रभावों पर एक नज़र डालते हैं।

संकट की पृष्ठभूमि:

- 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का अक्षम प्रबंधन था। भारत ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण अन्य क्षेत्रों जैसे उद्योग, बैंकिंग, बीमा, विदेश व्यापार आदि की उपेक्षा की थी।
- जब आय से अधिक व्यय होता है तो सरकार, बैंकों से और देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से घाटे का वित्तपोषण करने के लिए ऋण लेती है।
- राजस्व बहुत कम होने पर भी विकास नीतियों की आवश्यकता थी, सरकार को बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने राजस्व को बढ़ाना पड़ा था।
- सरकार के विकास कार्यक्रमों पर निरंतर खर्च करने से अतिरिक्त राजस्व नहीं उत्पन्न होगा।
- इसके अतिरिक्त, सरकार कराधान जैसे आंतरिक स्रोतों से पर्याप्त रूप से राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी।
- बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त आय भी बहुत अधिक नहीं थी।
- अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लिया गया विदेशी विनिमय, उपभोग की आवश्यक्ताओं को पूरा करने पर खर्च किया जाता था।
- इसके अतिरिक्त, बढ़ते आयातों का भुगतान करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया था।
- 1980 के दशक के अंत में, सरकारी व्यय अपने राजस्व से इतने बड़े मार्जिन से अधिक होने लगे थे जिससे कि ऋण के माध्यम से खर्च को पूरा करना अस्थिर हो गया था।
    - कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ गईं थी।
    - निर्यात की वृद्धि के मिलान के बिना आयात बहुत अधिक दर से बढ़ रहा था।
    - विदेशी मुद्रा भंडार, उस स्तर तक गिर गया था, जो दो सप्ताह से अधिक के लिए आयात को वित्तपोषित करने हेतु पर्याप्त नहीं था।

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास (आई.बी.आर.डी.) से संपर्क किया था, जिसे लोकप्रिय रूप से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) के रूप में जाना जाता है और इस संकट का प्रबंधन करने के लिए ऋण के रूप में 7 बिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ था। ऋण

का लाभ उठाने के लिए, भारत ने विश्व बैंक और आई.एम.एफ. की शर्तों पर सहमति व्यक्त की थी और नई आर्थिक नीति (एन.ई.पी.) की घोषणा की थी।

1st Generation Reforms	2nd Generation Reforms
Committees were formed.	Government Institutions were formed.
Could be done by Executive Order of Government.	Requires building consensus for Amendment/ Act to be passed.
Committee	Authority
Malhotra Committee	Insurance Regulatory Development Authority
Damodran Committee	Security Exchange Board of India
Foreign Exchange Regulation Act (FERA),1973	Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999

नीतियों के इस समूह को व्यापक रूप से दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कि स्थिरीकरण उपाय और संरचनात्मक सुधार उपाय हैं।

स्थिरीकरण उपाय, एक अल्पकालिक उपाय हैं, जिसका उद्देश्य उन कुछ कमजोरियों को दूर करना है जो भुगतान के बैलेंस में विकसित हुई हैं और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाना है। सरल शब्दों में, इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना और बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता था।

संरचनात्मक सुधार नीतियां, एक दीर्घकालिक उपाय हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त कुरीतियों को दूर करके अर्थव्यवस्था की दक्षता में सुधार करना और इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। सरकार ने विभिन्न नीतियों की शुरुआत की है, जो तीन प्रमुखों- उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के अंतर्गत आती हैं।

उदारीकरण

हालांकि 1980 के दशक में औद्योगिक लाइसेंसीकरण, निर्यात-आयात नीति, प्रौद्योगिकी उन्नयन, राजकोषीय नीति और विदेशी निवेश के क्षेत्रों में कुछ उदारीकरण उपायों को शुरू करके किए गए थे, 1991 में शुरू की गई सुधार नीतियां अधिक व्यापक बन गईं थीं।

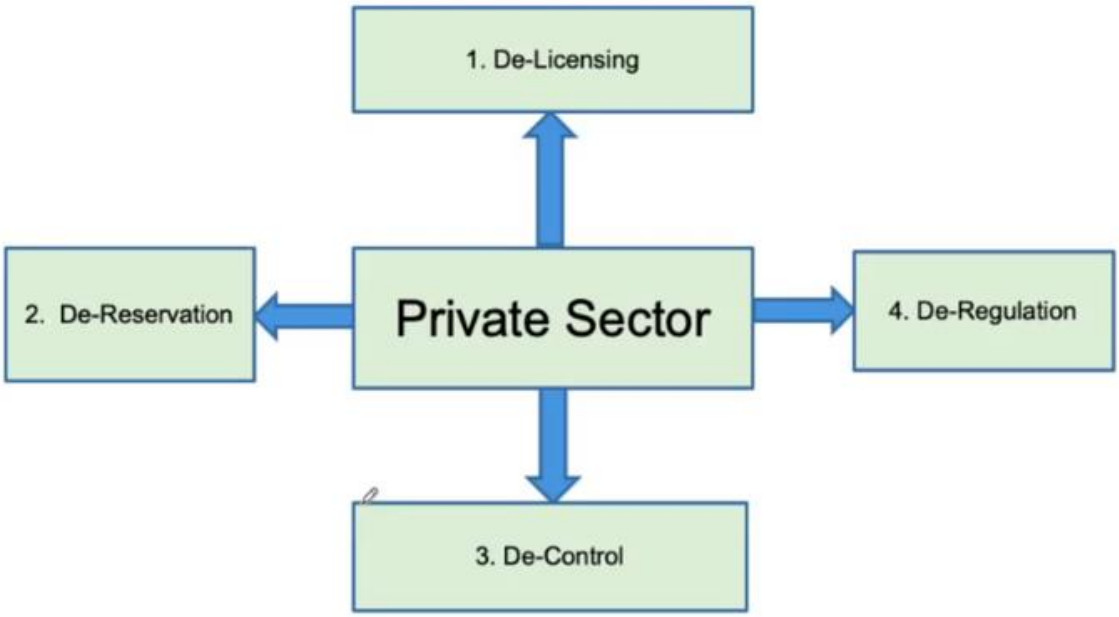

भारत में, विनियामक तंत्रों को विभिन्न तरीकों से लागू किया गया था:

- औद्योगिक लाइसेंसीकरण, जिसके अंतर्गत प्रत्येक उद्यमी को एक फर्म शुरू करने, एक फर्म को बंद करने या उत्पादित होने वाली वस्तुओं की मात्रा तय करने के लिए सरकारी अधिकारियों से अनुमति लेनी होती थी।
- कई उद्योगों में निजी क्षेत्र की अनुमति नहीं थी।
- कुछ उत्पादों का उत्पादन केवल लघु उद्योगों में किया जा सकता था और
- चयनित औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण और वितरण पर नियंत्रण करना

1. **डीलाइसेंसिंग: लाइसेंस राज का अंत**

1991 और उसके बाद शुरू की गई सुधार नीतियों ने इनमें से कई प्रतिबंधों को हटा दिया था। औद्योगिक लाइसेंसीकरण को लगभग सभी उत्पादों से हटा दिया गया था लेकिन कुछ उत्पाद

श्रेणियों जैसे शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और दवा और फार्मास्यूटिकल्स के लिए समाप्त कर दिया गया था।

डिलाइसेंसिंग और गैर-आरक्षण छूट सूची

De-Licensing	De- Reservation
Arms & Ammunitions	Existing Public Sectors except critical sectors
Industrial Explosives	Atomic Energy
Defense Equipment	Space
Mining of Minerals	Railway Operations
Hazardous Chemicals	Mining of rare minerals
Drugs and Pharmaceuticals	
Alcohol & Tobacco Products	

2. **गैर-आरक्षण**

केवल ऐसे उद्योग जो अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, वे रक्षा उपकरण, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रेलवे परिवहन, दुर्लभ खनिजों के खनन आदि का एक हिस्सा हैं, छोटे स्तर के उद्योगों द्वारा उत्पादित कई उत्पाद अब गैर-आरक्षित हो गए हैं। कई उद्योगों में, बाजार को कीमतें निर्धारित करने की अनुमति दी गई है।

3. **अनियंत्रण**

सरकार द्वारा किए गए वस्तुओं के मूल्य निर्धारण को केवल निम्न सूची में मौजूद महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए प्रतिबंधित किया गया था।

De-Control	De-Regulation
Minerals	All licenses were discontinued for capacity, more machines, diversification, importing, exporting
CNG/LNG/Gas	
Kerosene	No private sector company would be categorized as MRTP company or FERA company, so no raids (Raids could only be conducted by court order)
Fertilizers (Urea)	Labour/Factory inspects only for compliance with labour and factory laws
Sugar	
Price of utilities (Electricity, Water, Transport)	Factory can only be inspected once a year.

4. **अविनियमन**

उपर्युक्त तालिका में सूचीबद्ध के रूप में अन्य सभी अतिरिक्त प्रतिबंध हटा दिए गए थे।

निजीकरण

इसका तात्पर्य किसी सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम के स्वामित्व या प्रबंधन से है। सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों में बदलने के दो तरीके हैं, (i) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन से सरकार की निकासी करके (i) निजी कंपनियों की प्रत्यक्ष बिक्री करके हैं।

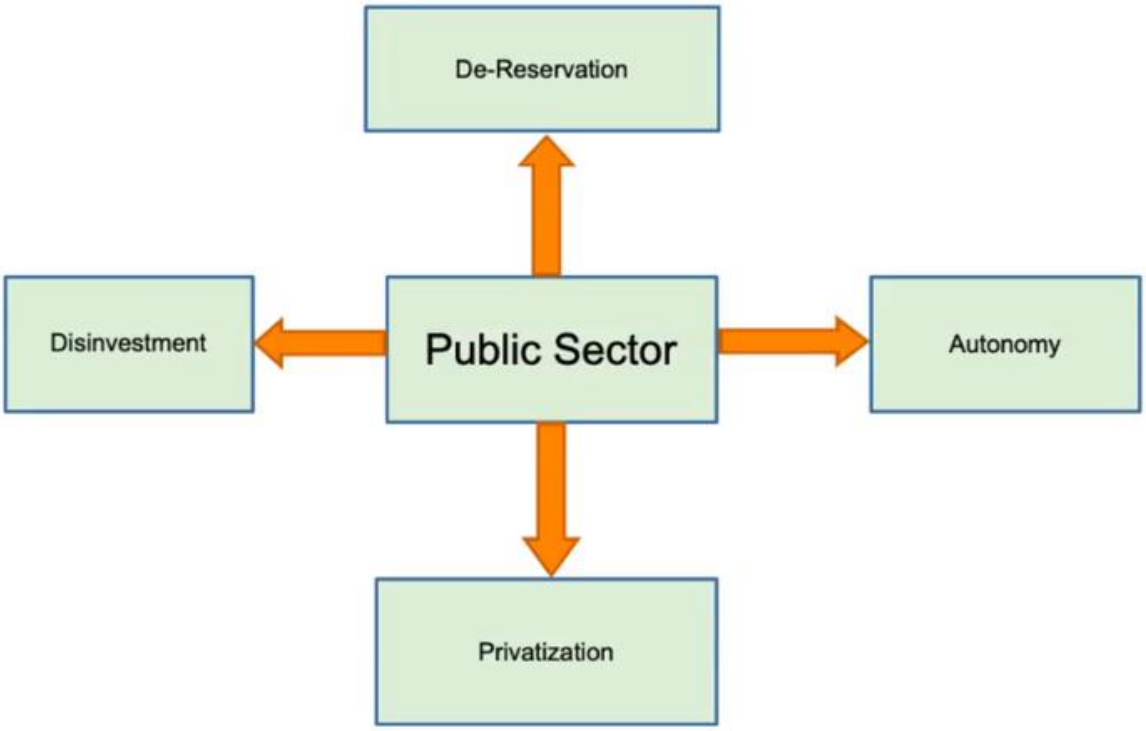

गैर-आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार, सरकार को केवल कुछ क्षेत्रों के लिए अपनी भूमिका को सीमित करना था और अन्य सभी क्षेत्रों के लिए, निजी खिलाड़ियों की निशुल्क भागीदारी की जगह बनानी होगी।

पी.एस.ई. की इक्विटी के हिस्से को जनता को बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सार्वजनिकीकरण करना विनिवेश कहलाता है। सरकार के अनुसार, बिक्री का उद्देश्य मुख्य रूप से वित्तीय अनुशासन में सुधार करना और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करना था।

Disinvestment	Privatization
Selling shares with the objective of raising resource for the government.	Selling shares with the objective of Transfer of Management Control
Shares will be sold to general public	Shares will be sold to a specific buyer.

सरकार की परिकल्पना थी कि निजीकरण, एफ.डी.आई. के अंतर्प्रवाह को मजबूत गति प्रदान कर सकता है। सरकार ने प्रबंधकीय निर्णय लेने में स्वायत्तता प्रदान करके पी.एस.यू. की दक्षता में सुधार के प्रयास भी किए हैं। उदाहरण के लिए, कुछ पी.एस.यू. को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न के रूप में विशेष दर्जा प्रदान किया गया है।

आर्थिक सुधारों के प्रभाव

सुधार प्रक्रिया ने तीन दशक पूरे कर लिए हैं। आइए अब इस अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को देखते हैं।

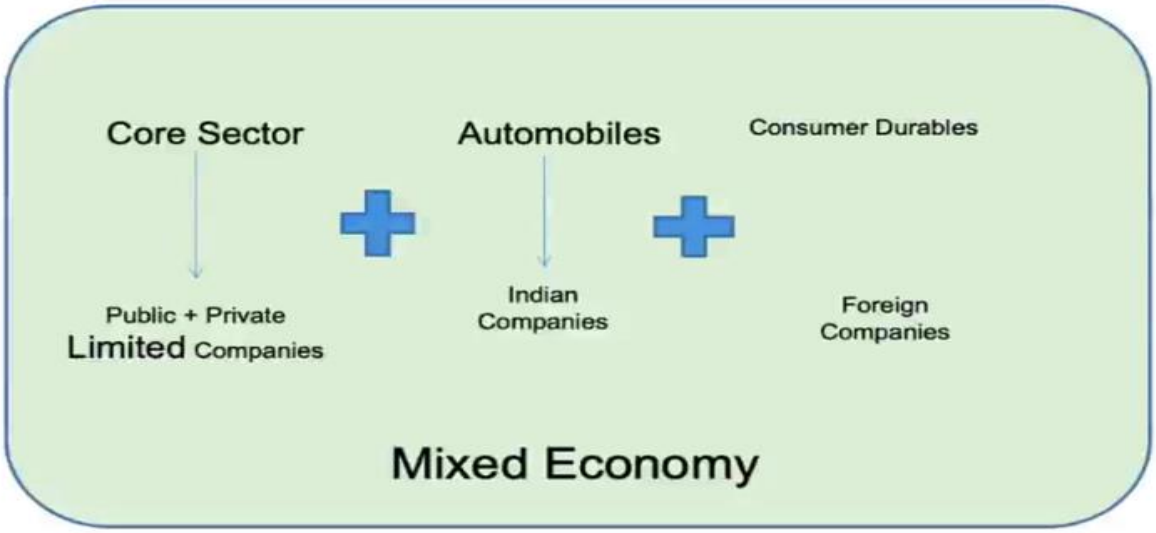

- 1991 के बाद के भारत ने लगातार दो दशकों तक निरंतर आधार पर जी.डी.पी. में तीव्र वृद्धि देखी है। जी.डी.पी. की वृद्धि 1990-91 के दौरान 6 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 के दौरान 7.2 प्रतिशत हो गई थी।
- सुधार की अवधि के दौरान, कृषि की वृद्धि में गिरावट आई है। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे में निवेश इस अवधि के दौरान कम हो गया था, जिसमें सिंचाई, बिजली, सड़क, बाजार संपर्क और अनुसंधान और विस्तार (जिसने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है) शामिल हैं। खाद्य अनाज के उत्पादन के बदले नकदी फसलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निर्यात बाजार हेतु उत्पादन की दिशा में घरेलू बाजार के लिए उत्पादन में बदलाव किया गया है। इससे खाद्यान्न की कीमतों पर दबाव पड़ गया है।
- जबकि औद्योगिक क्षेत्र में उतार-चढ़ाव की दर्ज किया गया है, जब कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि हुई है। औद्योगिक विकास ने भी मंदी दर्ज की गई है। इसका कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग में कमी है जो कि विभिन्न कारणों जैसे सस्ता आयात, बुनियादी ढांचे में अपर्याप्त निवेश आदि के कारण है। इसके अतिरिक्त, भारत जैसे विकासशील देश अभी भी उच्च टैरिफ बाधाओं के कारण विकसित देशों के बाजारों तक पहुंच प्राप्त नहीं कर सके हैं।
- विदेशी निवेश, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) और विदेशी संस्थागत निवेश (एफ.आई.आई.) शामिल हैं, यह 1990-91 में लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2017-18 में 30 बिलियन अमेरिकी हो गया है।
- 1990-91 में लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2018-19 में 413 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है।
- आर्थिक सुधारों ने सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों पर सीमाएं लगा दी हैं।

उदारीकरण और निजीकरण नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने सकारात्मक के साथ ही नकारात्मक परिणामों का उत्पादन किया है। इसने वैश्विक बाजारों, उच्च प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुंच प्रदान की है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए विकासशील देशों के बड़े उद्योगों की संभावना को बढ़ा दिया है। भारतीय संदर्भ से देखने पर कुछ अध्ययनों ने कहा है कि 1990 के दशक की शुरुआत में जो संकट पैदा हुआ था, वह मूल रूप से भारतीय समाज में गहरी जड़ों वाली असमानताओं का परिणाम है और सरकार द्वारा संकट की प्रतिक्रिया के रूप में आर्थिक सुधार नीतियों को शुरू किया गया था, इसके अतिरिक्त आगे असमानताओं को देखते हुए नीति पैकेज की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, इसने केवल उच्च आय वाले समूहों की खपत की आय और गुणवत्ता में वृद्धि की है और कृषि और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजाय विकास केवल सेवा क्षेत्र के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों जैसे कि दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, यात्रा और आतिथ्य सेवाओं, अचल संपत्ति और व्यापार पर केंद्रित है। जो देश के लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं।

हरित क्रांति

हरित क्रांति क्या है?

नॉर्मन ई. बोरलॉग, नोबल पुरस्कार विजेता, और एक अमेरिकी कृषिविज्ञानी, जिन्होंने विश्व भर में इस प्रेरणा का नेतृत्व किया जिसने कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि में योगदान दिया। उन्होंने ही हरित क्रांति की संज्ञा दी। इस प्रकार, उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।

हरित क्रांति को आधुनिक तरीकों और तकनीकों के उपयोग के साथ खाद्यान्नों के उत्पादन में असामान्य वृद्धि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है प्रति इकाई भूमि की उच्च उत्पादकता या खाद्यान्न की बहुविध आवृत प्राप्त करना।

भारत में हरित क्रांति को अपनाने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे?

हरित क्रांति से पहले, भारत को खाद्य उत्पादन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था:

- **नियमित अकाल:** 1964-65 और 1965-66 में, भारत ने दो विकट के अकालों (सूखे) का अनुभव किया जिसके कारण भोजन का अभाव हो गया।

- **संस्थागत वित्त का अभाव:** सीमांत किसानों को सरकार और बैंकों से किफायती दरों पर वित्त एवं ऋण प्राप्त करना बहुत मुश्किल था।
- **कम उत्पादकता:** भारत की पारंपरिक कृषि पद्धतियों ने अपर्याप्त खाद्य उत्पादन प्राप्त किया।

एम.एस. स्वामीनाथन, उन्हें भारत में **हरित क्रांति के जनक** के रूप में भी जाना जाता है, ने उच्च उपज वाले विभिन्न बीजों (गेहूं और चावल) के विकास में योगदान दिया है, जिससे भारत को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिली है।

हरित क्रांति के घटक

हरित क्रांति में विभिन्न कृषि घटकों या आदानों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता है, जैसे कि:

- **उच्च उपज गुणवत्ता वाले बीज:** नॉर्मन ई. बोरलॉग जैसे कृषिविदों ने मैक्सिको में एक विविध प्रकार के गेहूं के बीज विकसित किए, जो एशिया और लैटिन अमेरिका में कृषकों की सहायता के लिए थे और बाद में पूरी दुनिया उच्च पैदावार उत्पन्न कर सकती थी।
- **रासायनिक उर्वरक:** हरित क्रांति के लिए बीज या पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है - मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम। परंतु पारंपरिक खाद विधियों से ये पोषक तत्व उच्च पैदावार उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव / अनुप्रयोग मृदा को उच्च पोषक तत्व प्रदान करता है तथा इस प्रकार पौधों को उच्च पैदावार उत्पन्न करने में सहायक होता है।
- **सिंचाई:** रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा एवं फसलों की नियंत्रित वृद्धि के लिए जल संसाधनों की नियंत्रित आपूर्ति आवश्यक है।
- **कीटाणुनाशक और जीवाणुनाशक:** चूंकि नए बीज की किस्में स्थानीय कीटों और जीवाणुओं के लिए गैर-अनुकूलन होती हैं, उन्हें मारने के लिए कीटाणुनाशक और जीवाणुनाशक का उपयोग संरक्षित फसल के लिए आवश्यक है।
- **तृणनाशक और घास-फूस नाशक:** उच्च उपज किस्म के बीजों की बुवाई करते समय, रासायनिक उर्वरकों को खेत में शाक और खरपतवारों द्वारा सेवन से रोकने के लिए तृणनाशक और घास-फूस नाशक के उपयोग की आवश्यकता होती है।
- **कृषि-भूमि मशीनीकरण:** कृषि-भूमि मशीनीकरण कृषि कार्य को आसान और तेज बनाता है। जैसा कि हरित क्रांति बड़े भूभाग पर एकल-खेती का समर्थन करती है, इसलिए मशीनीकरण आवश्यक है।
- **ऋण, भंडारण और विपणन:**
    - **ऋण:** उपर्युक्त सभी आदानों को खरीदना - कृषि मशीनरी, उच्त उपज किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई (पंप सेट, बोरवेल), कीटनाशक और जीवाणुनाशक तथा शाकनाशी

और खरपतवारनाशक- काफी महंगे हैं। इसलिए किसानों को सस्ती ऋण की उपलब्धता की आवश्यकता होती है।

- **भंडारण:** जैसा कि हरित क्रांति क्षेत्र विशिष्ट है, पूर्व-विश्वसनीय सिंचाई सुविधाओं वाला एक क्षेत्र- भाखड़ा-नांगल बहुउद्देश्यीय बांध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 135 लाख एकड़ में सिंचाई प्रदान करता है- स्थानीय क्षेत्रों में बम्पर फसल, भंडारण की सुविधा प्रदान करता है। विभिन्न बाजारों में वितरित करने के लिए आवश्यक है।
- **विपणन एवं वितरण:** अभाव वाले क्षेत्रों और विभिन्न बाजारों में विपणन, वितरण और परिवहन संयोजन की उचित श्रृंखला भोजन वितरित करने के लिए आवश्यक है। रसद निर्माण के लिए, भारत सहित कई देशों ने विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से किफायती धन अथवा सस्ते ऋण के विकल्प को चुना।

हरित क्रांति का प्रभाव

हरित क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सामान्य और कृषि एवं विशेष रूप से पर्यावरण दोनों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सकारात्मक प्रबाव

- **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें:** भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है और खाद्य अधिशेष देश (निर्यातक) के रूप में भी आगे बढ़ सकता है।
- **खाद्य वितरण:** अभाव वाले क्षेत्रों में भंडारण और विपणन सुविधाओं के विकास के साथ भोजन मिल सकता है। पी.डी.एस. प्रणाली ने गरीब कमजोर वर्गों के बीच भूख को कम किया।
- **उन्नत कृषि आय:** हरित क्रांति ने भरपूर फसल उत्पादन के साथ किसान की आय में वृद्धि की है।
- **कृषि आधारित उद्योगों का विकास:** हरित क्रांति ने कृषि आधारित उद्योगों जैसे बीज कंपनियों, उर्वरक उद्योगों, कीटनाशकों उद्योगों, ऑटो और ट्रैक्टर उद्योगों आदि का विकास किया।

नकारात्मक प्रभाव

- **अंतर-वैयक्तिक असमानताएँ:** चूंकि हरित क्रांति ने भूमि के विशाल भूभाग के साथ व्यक्तिगत किसानों को लाभान्वित किया, जबकि गरीब किसान उसी से वंचित था।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** चूंकि हरित क्रांति के लिए सिंचाई सुविधाओं की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए अच्छी सिंचाई सुविधाओं वाले क्षेत्रों (पंजाब, हरियाणा आदि) को लाभ मिला, जबकि उत्तर-पूर्व भारत तथा मध्य भारत के कुछ हिस्से नहीं कर सके।
- **विषम खेती पैटर्न:** फसलों की पसंद गेहूं और चावल के पक्ष में रही है और फसलों को प्रभावित किया है जैसे कि दलहन, तिलहन, मक्का, जौ आदि।

- **मृदा उर्वरता में अभाव:** एक ही भूमि पर साल-दर-साल एकल-कृषि या एक ही फसल उगाने, अन्य फसलों के माध्यम से नियमित आवर्तन की अनुपस्थिति में या एक ही भूमि (पॉलीकल्चर) पर कई फसलों को उगाने से मिट्टी का क्षरण होता है।
- **सिंचाई:**
    - **जलभराव:** चावल की खेती में भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिससे जलभराव होता है। जलभराव जड़ की वृद्धि को रोकता है क्योंकि जड़ें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकती हैं। जल-भराव के कारण मलेरिया भी होता है।
    - **मिट्टी की लवणता:** मिट्टी का लवणीकरण तब होता है जब सिंचाई के पानी में लवण की थोड़ी मात्रा वाष्पीकरण के माध्यम से मिट्टी की सतह पर अत्यधिक केंद्रित हो जाती है।
    - **निम्न जल स्तर:** बोरवेल और जलभृत् से फसलों की सिंचाई के लिए पानी की अतिरिक्त खिंचाव से पानी की कमी हो जाती है।
- **उर्वरक, कीटनाशक और शाकनाशक:**
    - उर्वरकों, कीटनाशकों और शाकनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से जल, भूमि और वायु प्रदूषित होकर पर्यावरण में गिरावट आई है।
    - **शैवाल का उगना:** सिंथेटिक या जैविक उर्वरक आसन्न जल निकायों में जाते हैं, जिससे शैवाल उगते हैं तथा अंततः समुद्री प्रजातियों की मृत्यु हो जाती है।
    - **जैव संचयन:** समय के साथ किसी जीव के वसायुक्त ऊतकों के भीतर रसायनों (उर्वरकों और कीटनाशकों) की बढ़ती एकाग्रता है। भारत की खाद्य श्रृंखला में विषाक्त स्तर इतना बढ़ गया है कि भारत में उत्पादित कुछ भी मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है।

अग्रेषण (इसके अतिरिक्त)

- उपरोक्त नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए, स्वामीनाथन ने पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी कृषि, स्थायी खाद्य सुरक्षा और संरक्षण का उपयोग करने के लिए **"सदाबहार क्रांति"** की समर्थन किया।
- असंतुलित कृषि प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए, भारत सरकार ने इंद्रधनुष क्रांति- एकीकृत खेती आदि को बढ़ावा देने के लिए कल्पना की है।

byjusexamprep.com

2014 के बाद सुधार

जीएसटी

जीएसटी के विभिन्न स्लैब के तहत दरों पर चर्चा करने से पहले, जीएसटी क्या है इस पर एक नज़र डालते हैं? जीएसटी का पूर्ण रूप माल तथा सेवा कर (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) है। इसे संविधान (एक सौ तथा पहले संशोधन) अधिनियम, 2016 में पेश किया गया था। वित्त मंत्री अरूण जेटली जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं

जीएसटी का लक्ष्य विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तर के करों को एकीकृत करना है, जो एकल कर में व्यक्तिगत रूप लागू होता है। यह कदम एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार निर्माण के द्वारा देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार लाने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं के लिए माल पर समग्र कर का बोझ कम हो जाएगा। सरकार के अनुसार यह कमी 25-30% होने का अनुमान है। एकल स्तर कर शासन के कारण करों के प्रशासन तथा प्रचलन को लागू करने की भी अपेक्षा है।

14वीं जीएसटी परिषद बैठक कुछ वस्तुओं की दरों को परिभाषित करने के लिए आज (18 मई 2017) श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आयोजित की गई। दरें नीचे दिए गए स्तरों पर लागू होंगी-

- शून्य
- 5%
- 12%
- 18%
- 28%

आइए अब हम विभिन्न वस्तुओं पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें उपर्युक्त स्लैब के तहत वर्गीकृत किया गया है।

शून्य (कोई भी टैक्स स्लैब नहीं) -

कुछ वस्तुओं जैसे ताजा दूध, मांस, अंडे, छाछ, दही, प्राकृतिक शहद, ताजी सब्जियां, कंद तथा मूल, फलों (जमे हुए या संरक्षित राज्य में रहने वालों के अलावा), कॉफी बीन्स, सभी अनाज वस्तुएं (यूनिट कंटेनर में लगाए गए पदार्थों और पंजीकृत ब्रांड नाम के अलावा) आटा, सोयाबीन,

byjusexamprep.com

मूंगफली, गन्ना गुड़, मुरमुरे, रोटी, प्रसाद, आम नमक, बिंदी, सिंधुर, प्लास्टिक की चूड़ियाँ, लकड़ी का कोयला, न्यायिक, गैर-न्यायिक डाक टिकट, अख़बार, हथकरघा आदि पर कोई कर लागू नहीं होगा।

5% स्लैब -

इस टैक्स स्लैब में वस्तुएं जैसे जमी हुई मछली, मछली फिलेट, अल्ट्रा उच्च तापमान दूध, दूध क्रीम, क्रीम दही, मट्ठा, आइवरी, हर्ब, छाल, सूखे पौधे, जमे हुए या संरक्षित फल और सब्जियां, खट्टे फल और खरबूजे की छील, कॉफी, चाय, प्राकृतिक गोंद, रॉल, वनस्पति वसा तथा तेल, चुकंदर, चीनी, गन्ना चीनी, कोको बीन्स, रोटी की तैयारी के लिए मिक्स तथा आटा, तंबाकू के पत्ते, अनारोहित आयरन पेरिटस, सल्फर, सभी कच्ची धातुएं तथा दाने, मिट्टी के तेल, सल्फोनेटिड अरंडी का तेल, मछली का तेल, हस्तनिर्मित माचिस, बिल्डिंग ईंट, मिट्टी के तेल, लाइफबोट आदि शामिल होंगी ।

12% स्लैब

इस स्लैब में जमा हुआ मांस, मक्खन और अन्य वसा, पनीर, सूखे मेवे, स्टार्च, पशु वसा और तेल, सॉस और इसी तरह के माल के उत्पाद, मांस ओफल या खून, फल तथा सब्जियों का रस, भुना हुआ चिकरी, सोया दूध पेय, पेय युक्त दूध, मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक, बॉयोगैस, औषधीय ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उर्वरक, फाउंटेन/ बॉल पेन इंक, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, मोमबतियां, फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म, बच्चों के चित्र / ड्राइंग / रंगीन किताबें, छतरियां, रेत चूना ईंट, सिलाई मशीनें, सेल फ़ोन आदि जैसी कुछ वस्तु शामिल होंगी।

18% स्लैब

इस टैक्स स्लैब में गाढ़ा दूध, माल्ट, सब्जियां और अर्क, भारतीय कथा, ग्लिसरॉल, वनस्पति वेक्सिस, परिष्कृत चीनी, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, वेफ़ल, पेस्ट्री और केक, जेम, जेली, मार्मालेड्स, सॉस, सूप्स, आईसक्रीम, फूड मिक्स, मधुमेह के खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन वेक्सिस, फ्लोरिन, क्लोरीन, ब्रोमिन, आयोडीन, रंगाई सामग्री, मुद्रण स्याही, आवश्यक तेल, कृत्रिम वेक्सिस, सुरक्षा फ़्यूज़, कीटनाशक, लकड़ी के तार, बरतन, टेबलवेयर, सुरक्षा हेडगेयर (हेल्मेट), रेफ्रेक्ट्री ईंटें, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स आदि वस्तु शामिल होंगी।

28% स्लैब

इस कर स्लैब में चविंगम, कोको मक्खन, अर्क, सुगंध और कॉफी के दाने, गैर-अल्कोहल पेय, वायुकृत जल, पोर्टलैंड सीमेंट, पेंट्स और वार्निश, कलाकार / छात्र या साइनबोर्ड चित्रकार के रंग,

परफ्यूम, टूथपेस्ट, आतिशबाजी, सिंक, वॉश बेसिन, वॉल पेपर / कवरिंग, लैंप, लाइटिंग फिटिंग, पियानो, रिवॉल्वर्स, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, मोटरसाइकिल, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट, नौका आदि वस्तुएं शामिल हैं।

जीएसटी परिषद ने अभी तक निम्नलिखित उत्पादों की दरें तय की हैं –

बिरि आवरण पत्तियां, बिस्कुट, बीरिस, जूते, प्राकृतिक या सुसंस्कृत मोती, कीमती या अर्ध कीमती पत्थर, कीमती धातुएं, कीमती धातुओं के साथ धातु क्लेड और उसकी वस्तुएं, नकली आभूषण, सिक्का, बिजली संचालित कृषि, बागवानी, वानिकी, कुक्कुट पालन या मधुमक्खी पालन मशीनरी, फसल की कटाई या खलिहान मशीनरी, सफाई के लिए मशीन, छँटाई या ग्रेडिंग, मिलिंग उद्योग में उपयोग की जाने वाली मशीनरी तथा पार्ट्स।

2014 के बाद: श्रम सुधार

श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। इस मंत्रालय की प्रमुख जिम्मेदारी समाज के गरीब, वंचित और वंचित वर्गों पर विशेष जोर देने के साथ श्रमिकों के हितों की सुरक्षा और सुरक्षा है। यह उन्नत उत्पादन के साथ-साथ उत्पादकता और आगे व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सेवाओं को विकसित करने के लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने के लिए सुनिश्चित करता है।

इस लेख में, हम पिछले कुछ वर्षों में **श्रम और रोजगार मंत्रालय** द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं को देखेंगे और यह आगामी यूपीएससी सिविल सेवाओं और यूपीएससी ईपीएफओ 2020 परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा।

सरकारी योजनाएं: श्रम और रोजगार मंत्रालय

योजना	उद्देश्य	याद रखने योग्य कुछ बिंदु

दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम	भारत में उद्योगों के विकास और श्रम सुधारों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना।	• एक समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल: • लगभग छह लाख इकाइयों को श्रम पहचान संख्या (LIN) आवंटित करना और उन्हें 44 श्रम कानूनों में से 16 के साथ ऑनलाइन अनुपालन दायर करने में सक्षम बनाना। • निरीक्षण के लिए इकाइयों के यादृच्छिक चयन के लिए पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना: • निरीक्षण के 72 घंटे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने के लिए इकाइयों के चयन में मानव निर्णय को समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग अनिवार्य है। • EPF लाभार्थी को सार्वभौमिक खाता संख्या आवंटित की जाती है जो भविष्य निधि खाते को पोर्टेबल और सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाती है।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है।	• यह श्रम और कार्य मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से पेश किया जा रहा है। • इस योजना के तहत, 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद, 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन के साथ, EPFO के साथ नामांकित किए गए नए कर्मचारियों के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए सरकार 12 प्रतिशत पूर्ण नियोक्ता के योगदान (श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और सेवानिवृत्तों के लिए पेंशन योजना दोनों के लिए) का भुगतान करती है।

byjusexamprep.com

		• पूरा कार्यक्रम ऑनलाइन है, और आधार (AADHAR) बिना किसी मानव हस्तक्षेप के योजना के एप्लीकेशन पर आधारित है।
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना	उद्देश्य बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करना है। हितधारकों और लक्षित समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाना।	• परियोजना का समग्र उद्देश्य लक्ष्यित क्षेत्र में एक उत्साहजनक माहौल बनाना है जहां बच्चों को विद्यालयों में काम करने से बचने और नामांकित होने के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों से प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है, और परिवारों को उनकी आय के स्तर को बढ़ाने के लिए विकल्प दिए जाते हैं।
बल श्रम निषेध प्रभावी प्रवर्तन प्लेटफार्म (PENCIL) पोर्टल	इसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त भारत के निर्माण को बढ़ावा देना है, जो विधायी प्रावधानों के प्रवर्तन और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) के प्रभावी कार्यान्वयन दोनों के लिए कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र को समेकित रूप से एकीकृत करेगा।	• यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो बाल श्रम और तस्करी के खतरे से निपटने के लिए केंद्र को राज्य सरकार, जिले और सभी परियोजना समितियों से जोड़ता है। • इसके पाँच घटक हैं - बाल ट्रैकिंग प्रणाली, शिकायत कॉर्नर, राज्य सरकार, NCLP, और संमिलन।
राष्ट्रीय कैरियर सेवा	लक्ष्य उन दोनों के बीच के अंतराल को पाटना है, जिन्हें काम की आवश्यकता है और	• यह रोजगार से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा का रूपांतरण है जैसे कि नौकरी मैचिंग, करियर काउंसलिंग, व्यावसायिक

byjusexamprep.com

	जो उन्हें भर्ती करना चाहते हैं, उन लोगों के बीच जिन्हें कैरियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की आवश्यकता है और जो सलाह और प्रशिक्षण की पेशकश कर सकते हैं।	मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि, जो कि रोजगार कार्यालयों के माध्यम से पेश किए जाते हैं। • इस योजना में आईटी अपग्रेडेशन के साथ-साथ रोजगार कार्यालयों के मामूली नवीनीकरण और नौकरी मेलों के आयोजन के लिए राज्यों को धन मुहैया कराने का भी प्रावधान है।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	इसका उद्देश्य "बदलते रोजगार पैटर्न" के कारण भटकते बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है।	• यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा अनुमोदित एक योजना है जिसका उद्देश्य अपने उन ग्राहकों, जो मुख्य रूप से औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक हैं और जो किसी भी कारण से बेरोजगार हो गए हैं, को बैंक खाता हस्तांतरण के माध्यम से नकद प्रदान करके लाभान्वित करना है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना	इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र को पेंशन प्रदान करना है	• **पेंशन:** उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह की आश्वासित पेंशन प्राप्त होगी। • पेंशन की प्राप्ति के दौरान मृत्यु की स्थिति में, उसके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में अर्जित पेंशन का 50 प्रतिशत अर्जित करने का अधिकार होगा। • 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु होने की स्थिति में, उसका जीवनसाथी मासिक योगदान का भुगतान करके योजना में प्रवेश करने और उसे जारी रखने या निकास और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना को छोड़ने का हकदार

byjusexamprep.com

		होगा। पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी के लिए है। • **ग्राहक द्वारा योगदान:** उसके लिए PM-SYM योजना में शामिल होने से लेकर 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित योगदान राशि का योगदान करना आवश्यक है। • **केंद्र सरकार द्वारा समान योगदान:** PMSYM, 50:50 के आधार पर एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जहाँ निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान लाभार्थी द्वारा और समान योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

कृषि सुधार: स्कीम

इस राष्ट्र के नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को संबोधित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सरकारी योजनाएँ। इस तरह की योजनाएं भारतीय समाज को घेरने वाली कई समस्याओं को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और कल्याणकारी राष्ट्र को हमारे संविधान में निहित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। इस लेख में, हम पिछले कुछ वर्षों में उनके उद्देश्यों और योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ-साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा योजनाओं की पूरी सूची देखेंगे।

सरकारी योजनाएँ: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

योजना का नाम	उद्देश्य	याद रखने योग्य कुछ बातें
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना	यह योजना पात्र लघु और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति	• पेंशन योजना 18 वर्ष की प्रवेश आयु से 40 वर्ष तक की आयु तक के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी है

	माह 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन का भुगतान करती है	• किसान 555 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान कर सकता है। केंद्र सरकार भी पेंशन योजना में समान धनराशि देगी। • एलआईसी पेंशन कोष प्रबंधक होगा और पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)	यह योजना 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष की धनराशि का हस्तांतरण करती है। धनराशि सीधे लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसे पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। • योजना में प्रारंभ में केवल 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया, जो उच्च-आय वाले व्यक्तियों के लिए कुछ अपवाद मानदंडों के अधीन था। • सरकार ने बाद में इस योजना को 1 जून 2019 से **बिना भूमि की शर्तों के सभी किसान परिवारों के लिए** विस्तारित कर दिया। • जन सेवा केंद्र के माध्यम से किसान पीएम किसान वेब पोर्टल पर नाम दर्ज और परिवर्तित कर सकते हैं।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	भारत के सभी किसानों को हर तीन वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरण कार्यों में पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सके	• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है • किसानों को जारी किया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड व्यक्तिगत खेतों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और उर्वरकों की फसलवार सिफारिशें करता है।

byjusexamprep.com

		• यह N, P, K (बृहत पोषक) जैसे 12 मापदंडों के संदर्भ में उसकी मृदा की स्थिति की जांच करेगा। • इसके आधार पर, SHC योजना खेत के लिए आवश्यक उर्वरक सिफारिशों और मृदा सुधार को भी सूचित करेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)	एकल खिड़की के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से समय पर ऋण सहायता प्रदान करना।	• KCC के अंतर्गत दिया गया ऋण व्यापक है और इसका उपयोग फसलों की खेती, और अन्य खर्चों के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। • अधिसूचित फसलों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वितरित ऋण, फसल बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं। • किसान क्रेडिट कार्ड को मत्स्य और पशुपालन क्षेत्र के किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद करने के लिए विस्तारित किया गया है। • यह योजना मृत्यु या ऐसी स्थायी विकलांगता जो बाहरी, हिंसक और दृश्य साधनों के कारण होती है, की स्थिति में KCC धारकों के जोखिम को कवर करती है। • स्वयं सहायता समूह (SHG) और ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप भी इस योजना के पात्र हैं।

byjusexamprep.com

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	इसका उद्देश्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में अभिसरण प्राप्त करना है, जलवाही स्तर के पुनर्भरण को बढ़ाना और स्थायी जल संरक्षण कार्यप्रणालियों को लागू करना।	• विभिन्न योजनाओं जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ऑन-फार्म वाटर मैनेजमेंट (OFWM), इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम (IWMP) का संमिलन। • अधूरी प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निधिकरण और कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए नाबार्ड में प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना के तहत दीर्घकालिक सिंचाई कोष शुरू किया गया है। • इसकी देखरेख संबंधित सभी मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री के अंतर्गत अंतर-मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) द्वारा की जाएगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	· किसान की आय को स्थिरता प्रदान करना। · प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, घातक रोग और बीमारियों की स्थिति में किसानों को बीमा सुविधा और वित्तीय सहायता प्रदान करना। · कृषि क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना।	• बीमा से जुड़ी योजना की एकछत्रीय योजना • इसने पुनर्निमित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को छोड़कर मौजूद अन्य सभी बीमा योजनाओं को बदल दिया। • किसान को सभी खरीफ फसलों के लिए **2% प्रीमियम और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान** करना पड़ता है। • वार्षिक **बागवानी फसलों** के मामले में, किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम केवल 5% होगा। • ऋणी किसान के लिए यह अनिवार्य है और गैर-ऋणी किसान के लिए स्वैच्छिक है।

byjusexamprep.com

		• इसमें फसल के बाद की हानि को भी कवर किया जाता है। • हाल ही में, सरकार ने योजना के परिचालन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है। • किसानों को निर्धारित अंतिम तारीख के दो महीने बाद निपटान मुआवजे में देरी पर बीमा कंपनियों द्वारा 12% ब्याज प्रदान किया जाएगा।
भारत में कीट प्रबंधन के दृष्टिकोण को मजबूत करना और आधुनिक बनाना (SMPMA)	इसका उद्देश्य कीटनाशकों के कारण मृदा, जल और वायु में पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। रासायनिक कीटनाशकों के कारण व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को कम करना।	• यह एक केंद्रीय योजना है जो निम्नलिखित घटकों के साथ शुरू की गई है ○ एकीकृत कीट प्रबंधन ○ टिड्डी नियंत्रण और अनुसंधान ○ कीटनाशक अधिनियम, 1968 का कार्यान्वयन • एजेंसी- 35 केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र कार्यान्वयन
ब्याज अनुदान योजना (Interest Subvention Scheme)	देश में कृषि उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सस्ती दर पर अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करना	• यह किसानों को 7% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक अल्पकालिक फसल ऋण के लिए प्रति वर्ष 2% की रियायत प्रदान करता है। • प्रति वर्ष 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान "शीघ्र भुगतान करने वाले किसानों" को दिया जाता है।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)	खरीद प्रणाली में अंतराल को भरना, MSP प्रणाली में मुद्दों को सामने लाना	इसमें धान, गेहूं, और अन्य अनाज और मोटे अनाजों की खरीद के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की मौजूदा

	और किसान को बेहतर प्रतिफल देना	योजनाओं के पूरक तीन घटक हैं, जहां खरीद MSP पर होती है। **तीन घटक:** • मूल्य समर्थन प्रणाली (PSS) • मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS) • निजी खरीद और स्टॉक स्कीम (PPSS) **PSS**: • PSS के तहत, दाल, तिलहन और गरी की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। • इसके अलावा, NAFED और भारतीय खाद्य निगम (FCI) भी PSS के तहत फसलों की खरीद का काम करेंगे। • खरीद से होने वाले खर्च और नुकसान का वहन केंद्र द्वारा किया जाएगा। **PDPS**: • PDPS के तहत, केंद्र ने उन सभी तिलहनों को कवर करने का प्रस्ताव दिया जिनके लिए MSP अधिसूचित की गई है। • MSP और वास्तविक बिक्री / औसत मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किसान के बैंक खाते में किया जाएगा। • इस योजना में फसलों की कोई भी भौतिक खरीद शामिल नहीं है क्योंकि क्योंकि अधिसूचित बाज़ार में बिक्री करने पर MSP और बिक्री/औसत मूल्य

byjusexamprep.com

		में अंतर का भुगतान किसानों को कर दिया जाता है। **PPSS**: • तिलहन के मामले में, राज्यों के पास चुनिंदा जिलों में PPSS को लागू करने का विकल्प होगा। • इसके तहत, निजी एजेंसियां बाजार की कीमतें MSP से नीचे आने और बाजार में प्रवेश करने के लिए राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत करने पर MSP पर फसलों की खरीद कर सकती हैं। • निजी एजेंसियों को MSP के अधिकतम 15% तक सेवा शुल्क के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा।
राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना	प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करना और भारत में उच्च कृषि शिक्षा को मजबूत करना	• विश्व बैंक और भारत सरकार 50:50 हिस्से के आधार पर परियोजना चला रहे हैं। • भारत के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना का उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR की सहायता करना है। • इसके अलावा, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और वानिकी में चार वर्ष की डिग्री को एक पेशेवर डिग्री घोषित किया गया है।

byjusexamprep.com

कृषि कल्याण अभियान	किसानों को खेती की तकनीकों में सुधार करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सहायता करना और सलाह देना।	• यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की मदद से नीति आयोग के निर्देशानुसार पहचाने गए आकांक्षी जिलों में से प्रत्येक में 1000 से अधिक आबादी वाले 25 गांवों में चालू किया गया था।
ARYA परियोजना	युवाओं को विशेष रूप से चयनित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में आय और लाभकारी रोजगार हेतु विभिन्न कृषि, संबद्ध और सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए आकर्षित करना और सशक्त बनाना	• भारत सरकार ने वर्ष 2015 में ARYA - "Attracting and Retaining Youth in Agriculture" की शुरुआत की। • यह प्रत्येक राज्य के एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। • कृषि विश्वविद्यालय और ICAR संस्थान KVK के साथ प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में काम करेंगे • जिले में, 200-300 ग्रामीण युवाओं को उद्यमशीलता की गतिविधियों में कौशल विकास और संबंधित सूक्ष्म उद्यम इकाइयों की स्थापना के लिए चुना जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	संवहनीय तरीके से क्षेत्र के विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के साथ चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना	• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन और वाणिज्यिक फसलों (जूट, कपास और गन्ना) के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई। • **वित्त पोषण** - खाद्य फसलों के लिए केंद्र और राज्य का 50:50 योगदान जबकि नकदी फसलों के लिए केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण। • इसे 2007 में शुरू किया गया था।

byjusexamprep.com

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-RAFTAAR	किसान के प्रयासों को मजबूत करके और कृषि-व्यवसाय को बढ़ावा देकर खेती को एक लाभजनक आर्थिक गतिविधि बनाना	• इसे वर्ष 2007 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एकछत्रीय योजना के रूप में शुरू किया गया था, हाल ही में RKVY-RAFTAAR (2017-19 और 2019-20 के लिए Remunerative approaches for agriculture and allied sector rejuvenation) के रूप में पुन: शुरू किया गया है।
राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन	विस्तार प्रणाली को किसान चालित करना	• यह एकछत्रीय योजना है • यह 4 उप-योजनाओं के माध्यम से विस्तार तंत्र को मजबूत करने पर विचार करती है: ○ कृषि विस्तार उप मिशन (SMAE) ○ बीज एवं रोपण सामग्री उप मिशन (SMSP) ○ कृषि यांत्रिकीकरण उप मिशन (SMAM) ○ पादप संरक्षण और पादप संगरोध उप मिशन (SMPP)
राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन	दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना	• यह किसानों के लिए दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और उत्पादकता बढ़ाने और डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए 2016 में शुरू की गई थी। • यह योजना निम्नलिखित चार घटकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है ○ पशु संजीवनी ○ उन्नत प्रजनन तकनीक ○ ई-पशु हाट पोर्टल

byjusexamprep.com

		○ नेशनल बोवाइन जीनोमिक सेंटर फॉर इंडीजीनस ब्रीड्स की स्थापना
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	दुग्ध उत्पादन और प्रजनन में वृद्धि	• स्वदेशी नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम ताकि उनके आनुवंशिक कमी में सुधार हो सके और वंश को बढ़ाया जा सके • गिर, साहीवाल, राठी, देओनी, थारपारकर, लाल सिंधी जैसी उत्कृष्ट देशी नस्लों का उपयोग कर मवेशियों का उन्नतिकरण • स्वदेशी नस्लों के देशी प्रजनन विस्तार में एकीकृत स्वदेशी मवेशी केंद्र या गोकुल ग्राम की स्थापना। • यह योजना 100% सहायता अनुदान पर आधारित है।
नीली क्रांति: मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन	अंतर्देशीय और समुद्री दोनों क्षेत्रों में देश की कुल मत्स्य क्षमता को बाहर लाना और वर्ष 2020 तक उत्पादन को तीन गुना करना	• यह नीली क्रांति (नील क्रांति मिशन) पर एक प्रमुख केन्द्र प्रायोजित योजना है। • यह एकछत्रीय योजना है जो सभी मौजूदा योजनाओं का विलय करके बनाई गई है। • इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को 107.95 लाख टन (2015-16) से बढ़ाकर वर्ष 2019-20 के अंत तक लगभग 150 लाख टन करना है।
जीरो हंगर प्रोग्राम	कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से अंतरजन्य और बहुआयामी कुपोषण	• यह भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के प्रतिरूप के रूप में कार्य करेगा

byjusexamprep.com

	पर ध्यान आकर्षित करना है	
राष्ट्रीय कृषि बाजार (NAM)	बिक्री और बाजारों में पहुंच के लिए किसानों के विकल्प बढ़ाना व्यापारियों, खरीदारों और एजेंटों को लाइसेंस देने में उदारता। राज्य के सभी बाजारों में व्यापारियों के लिए एक एकल लाइसेंस मान्य है।	• NAM एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जिसका उद्देश्य मौजूदा APMC और अन्य बाजार प्रणालियों का नेटवर्क तैयार करना है ताकि कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया जा सके। • इसे लागू करने के लिए लघु कृषक कृषि व्यवसाय सहायता संघ (SFAC) को मुख्य एजेंसी के रूप में चुना गया है। • केंद्र सरकार राज्यों को सॉफ्टवेयर मुफ्त देगी और इसके साथ ही संबंधित उपकरणों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के लिए प्रति मंडी या बाजार या निजी मंडियों को 30 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। • 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में अब तक 585 थोक विनियमित बाजार/APMC बाजार E-NAM प्लेटफॉर्म के साथ जोड़े गए हैं। • मंडी/बाजार में स्थानीय व्यापार के लिए, NAM द्वितीयक व्यापार हेतु एक बड़े राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच का अवसर प्रदान करता है। • E-NAM पर पहला अंतर-राज्य व्यापार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच किया गया था।
जलवायु समुत्थाशील कृषि	इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के लिए फसलों,	• यह ICAR की परियोजनाओं का नेटवर्क है।

पर राष्ट्रीय नवप्रवर्तन	पशुधन और मत्स्य पालन को शामिल करते हुए भारतीय कृषि का लचीलापन बढ़ाना है।	• यह देश में वर्षा की अतिसंवेदनशीलता के लिए विभिन्न फसलों के महत्वपूर्ण मूल्यांकन पर विचार करती है।
मिशन फिंगरलिंग		• इस मिशन के तहत, मछली के बच्चे की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ मत्स्यपालन के स्थान और फिंगरलिंग (मछली का बच्चा) पालन तालाब की स्थापना की सुविधा के लिए संभावित राज्यों की पहचान की जाएगी।
CHAMAN परियोजना	कृषि आय बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र का विकास	• यह रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करके राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (MNCFC) द्वारा लागू की गई है। • फसल उत्पादन के विश्वसनीय अनुमान तैयार करने के लिए भू-स्थानिक अध्ययन जैसे फसल आधिक्यता, बाग कायाकल्प और जलीय बागवानी का कुशलता से उपयोग करना।

आर्थिक सुधार

सरकारी योजनाएं: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

योजना	उद्देश्य	याद रखने योग्य बिंदु
स्टार्टअप इंडिया	इसका उद्देश्य भारत में नवाचारों और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत	• एक्शन प्लान तीन स्तंभों पर आधारित है - सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग • सहायता और प्रोत्साहन राशि

byjusexamprep.com

	पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है	• उद्योग-शिक्षा जगत की भागीदारी और इन्क्यूबेशन। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPI & IT) (पूर्व में DIPP) कार्यान्वयन एजेंसी है।
मेक इन इंडिया	इसका उद्देश्य भारत को एक महत्वपूर्ण विनिर्माण डिजाइन और नवाचार के रूप में बढ़ावा देना है	• "मेक इन इंडिया" पहल चार स्तंभों पर आधारित है ○ नई प्रक्रियाएँ ○ नया इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा) ○ नए सेक्टर ○ न्यू माइंडसेट (नयी सोच) • उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPI & IT) 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय करता है जबकि वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्रों का समन्वय करता है।
sएक्सपोर्ट स्कीम के लिए ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर	निर्यात अवसंरचना में अंतर को कम करके, निर्यात अवसंरचना, प्रथम मील और अंतिम-मील संयोजकता और निर्यात-उन्मुख परियोजनाओं का निर्माण करके निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना	• यह सीमा हाट, कोल्ड चेन, ड्राई पोर्ट आदि जैसे निर्यात लिंकेज के साथ मौजूदा बुनियादी ढांचे की स्थापना और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
सरकारी ई-बाज़ार (GeM)	विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए।	• इसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। • सरकारी ई-बाज़ार (GeM) ई-बोली के उपकरण प्रदान करता है, सरकारी

byjusexamprep.com

		उपयोगकर्ताओं को उनके पैसे के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की सुविधा के लिए ई-नीलामी को उलट देता है। • GeM 3.0 की घोषणा की गई, जो मानकीकृत, शक्तिशाली और समृद्ध कैटलॉग प्रबंधन की पेशकश करेगा
		• सर्च इंजन, वास्तविक समय में मूल्य तुलना, उपयोगकर्ता रेटिंग, उन्नत एमआईएस और एनालिटिक्स
मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम	यह विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के तहत शुरू की गई एक निर्यात-प्रोत्साहन योजना है जो भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात में शामिल अवसंरचनात्मक अक्षमताओं और संबंधित लागतों को कम करने के लिए है।	• इसने पहले की पांच अलग-अलग योजनाओं को बदल दिया है ○ एफ़टीपी (फोकस उत्पाद योजना) ○ बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद योजना ○ फोकस मार्केट स्कीम ○ कृषि अवसंरचना प्रोत्साहन प्रोत्साहन स्क्रिप ○ व्यापारिक निर्यात को पुरस्कृत करने के लिए विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना, जिसमें उनके उपयोग के लिए अलग-अलग स्थितियाँ (सेक्टर-विशिष्ट या वास्तविक उपयोगकर्ता) थी।

byjusexamprep.com

		• यह योजना निर्यातक को क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करती है • यह शुल्को के भुगतान पर किसी भी नुकसान की भरपाई करने में मदद करता है
भारत योजना से सेवा निर्यात (SEIS)	देश से सेवा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए	• यह योजना विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-20 के तहत शुरू की गई थी जिसे पहले की योजना 'भारत से दी गई स्कीम' की के स्थान पर रखा गया था। • एसईआईएस (SEIS) भारतीय सेवा प्रदाताओं के बजाय भारत में स्थित `सेवा प्रदाताओं' पर लागू होगा। • इस प्रकार, यह अधिसूचित सेवाओं के सभी सेवा प्रदाताओं को पुरस्कृत करता है, जो भारत से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, भले ही सेवा प्रदाता के संविधान या प्रोफाइल के बावजूद।
'SWAYATT' पहल	SWAYATT सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर लेनदेन के माध्यम से स्टार्टअप, महिला और युवा को लाभ एवं बढ़ावा देने की एक पहल है।	• यह भारतीय ई-मार्केटप्लेस के लिए भारतीय ई-मार्केटप्लेस, नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल के भीतर प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा
इंटीग्रेट टू इनोवेट प्रोग्राम	यह ऊर्जा स्टार्टअप के लिए 3 महीने का कॉर्पोरेट त्वरण कार्यक्रम है	• चयनित स्टार्टअप्स को कॉर्पोरेट्स के साथ अपने उत्पाद को बेचने के अवसर के साथ-साथ प्रति स्टार्टअप

byjusexamprep.com

		5 लाख तक का नकद पुरस्कार मिलेगा
eBiz	पारदर्शिता लाने के लिए	• यह निवेशकों और व्यवसायों के लिए कुशल और सुविधाजनक सरकार से व्यापार (G2B) सेवाओं के लिए एक 24X7 ऑनलाइन एकल-खिड़की प्रणाली के रूप में काम करेगा। • यह भारत में व्यवसाय शुरू करने और व्यापार जीवन-चक्र के दौरान लाइसेंस और परमिट से संबंधित जानकारी और सेवाएं प्राप्त करने में जटिलता को कम करेगा। • यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआई और आईटी) के मार्गदर्शन और तत्वावधान में इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इन्फोसिस) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
वृक्षारोपण फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना	उन वृक्षारोपण फसलों के लिए बीमा योजना जिनके बीमा का लाभ प्रधानमंत्री फासल बीमा योजना से नहीं लिया जा सकता है।	• इसमें रबड़, तंबाकू, चाय, कॉफी और इलायची के छोटे उत्पादकों को शामिल किया गया है, जिसमें 10 हेक्टेयर या उससे कम भूमि हो। • यह योजना संबंधित कमोडिटी बोर्ड (CBs) के साथ पंजीकृत उत्पादकों के लिए अनिवार्य है और इसे 7 राज्यों में प्रायोगिक आधार पर लागू किया गया है।

byjusexamprep.com

		• संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से 'एरिया एप्रोच' और कमोडिटी बोर्ड के सिद्धांत पर संचालित की जाने वाली योजना बीमा क्षेत्र (IU) के रूप में एक क्षेत्र नामित करेगी, जो एक ग्राम पंचायत या कोई अन्य समकक्ष इकाई हो सकती है। युद्ध और परमाणु जोखिम से होने वाले नुकसान, दुर्भावनापूर्ण क्षति और अन्य रोके जाने योग्य जोखिमों को बाहर रखा गया है। • **नोट:** दालों और कृषि-बागवानी वस्तुओं के लिए पीएसएफ (PSF) उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन है

byjusexamprep.com